चयन / पदोन्नति

(Selection & Promotion)

(Para 201 to 209 of IREM-I)

समूह ''ख'' पदो के लिये (Group B Post) :

समूह ''ख'' की सभी रिक्तियाँ समूह ''ग'' के पात्र कर्मचारियों से चयन प्रक्रिया द्वारा व जहाँ समिति विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (LDCE) का प्रावधान हो वहाँ इससे भी भरी जाती हैं। जहाँ सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान है वहाँ पहले 70% रिक्तियों का नियमित चयन करवाया जाता है व शेष 30% रिक्तियों का चयन सीमिति विभागीय परीक्षा (LDCE) से करवाया जाता है। (RBE 02/06)

चयन की निरन्तरता (Frequency of Selection) :

समूह ''ख'' में पदोन्नति हेतु चयन का आयोजन दो वर्ष में एक बार करवाया जाना चाहिये। अगर अप्रत्याशित कारणों से, जैसे नये पदों का सृजन, उन्नयन इत्यादि से चयन करवाया जाना आवश्यक हो व पूर्व में करवाये गये चयन में कर्मचारी उपलब्ध न हो तथा अगले चयन में छः माह से अधिक का समय शेष हो तो नया चयन करवाया जा सकता है। मगर इस प्रकार के चयन न्यूनतम होने चाहिये।

चयन समिति का गठन (Compostion of Selection Committee) :

चयन समिति का गठन महाप्रबन्धक द्वारा किया जाता है। इस चयन समिति में तीन विभागाध्यक्ष या अतिरिक्त विभागाध्यक्ष होगें, जिसमें मुख्य कार्मिक अधिकारी या अतिरिक्त मुख्य कार्मिक अधिकारी और सम्बन्धित विभाग का विभागाध्यक्ष भी सम्मिलित होगा। इस समिति में वरिष्ठ उप मुख्य प्रबन्धक या अतिरिक्त मुख्य सतर्कता अधिकारी (Addl. CVO) को नामित नहीं किया जायेगा। अगर कमेटी में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य नहीं हो तो इस समुदाय के एक अधिकारी का नामांकन किया जायेगा जो कम से कम कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी स्तर का होगा।

रिक्तियों की गणना (Assessment of Vacancies) :

चयन हेतु नियमित केडर (स्थाई व अस्थाई दोनों) की चयन अवधि की 24 माह + अगले छः माह (कुल 30 माह) की रिक्तियाँ ली जायेगी। इसमें Construction reserve भी सम्मिलित किया जायेगा व पैनल कुल रिक्तियों हेतु बनाया जायेगा। (RBE 129/06)

अनुसूचित जाति /अनु. जन जाति के पक्ष में आरक्षण :

चयन द्वारा समूह ''ख'' की रिक्तियों को भरने के लिये पोस्ट बेस रोस्टर लागू होगा। अ.जा./अ.ज.जा. के पात्रता क्षेत्र में आने वाले योग्य कर्मचारियों को ही इस चयन हेतु बुलाया जायेगा। यदि पात्रता क्षेत्र में अनु.जन जाति /अनु जन जाति के पात्र कर्मचारी उपलबध नहीं है या उपलब्ध अनु.जन जाति /अनु जन जाति के कर्मचारी आरक्षित रिक्तियों की नियुक्ति के लिये योग्य नहीं पाये जाते है तब आरक्षित रिक्तियाँ खाली रहेगी तथा वह भविष्य में चयन के माध्यम से भरी जायेगी। (RBE 194/05, 200/05 & 129/6)

पात्रता की शर्तें (Elegibility) :

समूह ''ख'' के चयन (70% कोटा) हेतु (लेखा विभाग के अलावा) समूह ''ग'' के वे कर्मचारी जो पे बैण्ड रूपये 9300–34800 में ग्रेड पे रूपये 4200 तथा उपर के ग्रेड पे में तीन साल की अर्हक (Non fortuitous service) सेवा पूर्ण कर ली हैं, वह पात्र होगें। (इसमें Pre revised समान वेतनमान में की गई सेवा भी सम्मिलित हैं)।

– समूह ''ख'' के 30% एल.डी.सी.ई. कोटा चयन हेतु समूह ''ग'' के वे कर्मचारी जो पे बैण्ड रूपये 9300–34800 में ग्रेड पे रूपये 4200 में कार्यरत हैं तथा उसमें पाँच वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हैं वे इस चयन हेतु पात्र होगें। (इसमें Pre revised समान वेतन में की गई सेवा भी सम्मिलित हैं)।

– 70% समूह ''ख'' चयन की पारस्परिक वरियता (integrated seniority) हेतु पी.बी.–2 (9300–34800) हेतु पी. बी.–2 (9300–34800) में ग्रेड पे 4600 के कर्मचारियों को पी.बी.–2 ग्रेड पे 4200 के कर्मचारियों के ऊपर रखा जायेगा तथा कर्मचारियों की सम्बन्धित ग्रेड पे अर्थात् ग्रेड पे 4600 व ग्रेड पे 4200 में relative seniority का निर्धारण कर्मचारी द्वारा सम्बन्धित ग्रेड पे में (या उसके समान पूर्ववृत्ति वेतनमान में) की गई अर्हक सेवा की अवधि के आधार पर किया जायेगा। (RBE 02/06 & 46/10)

– समूह ''ख'' के सहायक कार्मिक अधिकारी के 70% कोटे के चयन हेतु जो कर्मचारी पे बैण्ड पी.बी.–2 (रू 9300–34800) ग्रेड पे रू 4200 में तथा उच्च समूह ''ग'' वेतनमान में कार्यरत है वे चयन में सम्मिलित होने के पात्र होगें बशर्ते इन्होंने वर्तमान तथा उच्च ग्रेड में अर्हक सेवा (Non-fortuitous) तीन साल से कम नहीं की हो तथा वे कर्मचारी जो योग्य है और जो चयन के लिये पात्र हैं व सभी किसी संख्या की सीमा के बिना विचारित किये जायेगें। (RBE 203/08)

– यदि कनिष्ठ कर्मचारियों पर, उनकी सम्बन्धित न्यूनतम सेवा शर्तों के आधार पर चयन (70%) हेतु विचार किया जाता है, तो उससे वरिष्ठ सभी कर्मचारी भी चयन में सम्मिलित होने के पात्र होगें चाहे वे न्यूनतम सेवा शर्तों को पूरा नहीं करते हो।

– ग्रुप ''बी'' में चयन /पदोन्नति हेतु रनिंग कर्मचारियों की योग्यता निर्धारण हेतु रनिंग कर्मचारियों के वेतनमानों की स्टेशनरी पदों से समानता निम्नानुसार होगीः– (RBE 53/11, 92/15)

S. No	Category of running staff	Scale of pay applicable (VI CPC)	Scale of stationary post to which should be equated (VI CPC)
1	i. Loco Pilot (M/Exp.)	PB-2 + GP 4200 (+1000 addl.allowance for LP-Mail. /Exp.)	PB-2 + GP 4600
	ii. Sr. Loco Pilot (Pass) /Senior Motor Man		
2	i. Loco Pilot (Pass) /Motor Man	PB-2 + GP 4200 (+500 addl.allowance for LP-Pass)	PB-2 + GP 4600
	ii. Sr.Goods Loco Pilot		
3	i. Goods Driver	PB-2 + GP 4200	PB-2 + GP 4600
	ii. Loco Pilot (Shunting) (NF)		
4	Loco Pilot (Shunting)	PB-1 + GP 2400	PB-1 + GP 2400
5	Sr.Asstt. Loco Pilot (NF) (80%)	PB-1 + GP 2400	PB-1 + GP 2400
6	1. Asstt. Loco Pilot (20%)	PB-1 + GP 1900	PB-1 + GP 2400
7	i. Guard (M/Exp.)	PB-2 + GP 4200 (+500 addl.allowance for Mail/Exp. Gd.)	PB-2 + GP 4600
	ii. Sr.Pass /Sub.Guard		
8	Sr.Goods Guard (NF)	PB-2 + GP 4200	PB-2 + GP 4200
9	i. Goods Guard	PB-1 + GP 2800	PB-2 + GP 4200

– विचार क्षेत्र (Zone of consideration) : चयन के लिये कर्मचारियों की संख्या को पद के क्रमानुसार आरोही (sliding scale) क्रम में निमानुसार नीचे दिये गये विवरणानुसार बुलाया जायेगाः–

यदि 01 रिक्ति हो तो : 05 कर्मचारियों को
यदि 02 रिक्तियाँ हो तो : 08 कर्मचारियों को,
यदि 03 रिक्तियाँ हो तो : 10 कर्मचारियों को
पर या अधिक रिक्तियाँ हो तो : रिक्तियों की संख्या से तीन गुना कर्मचारियों को बुलाया जायेगा।

यदि अ.जा./अ.ज.जा. के कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या पात्रता सूची में उपलब्ध नहीं है तो क्षेत्र की विचारित रिक्तियों के विरूद्ध रिक्तियों की संख्या से पाँच गुना तक बढ़ा कर केवल इन्हीं अ.जा./अ.ज.जा. के कर्मचारियों को बुलाया जायेगा जो इस पात्रता के अन्तर्गत आते हैं।

चयन प्रक्रिया : चयन लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा तथा सेवा अभिलेख के निर्धारण (assessment) के आधार पर आधारित है। निर्धारित अंक तथा विभिन्न विषयों के अन्तर्गत योग्य अंक निम्नलिखित है :–

निर्धारित प्रश्न–पत्र	अधिकतम अंक	अहर्क अंक	टिप्पणी
एक प्रश्न–पत्र व्यावसायिक विषय तथा स्थापना व वित्तीय नियम पर।	150	90	150 (कम से कम 15 अंक सेवा अभिलेख के सहित)

सेवा अभिलेख व मौखिक	अधिकतम अंक	अहर्क अंक
(i) मौखिक	25	30 (कम से कम 15 अंक सेवा अभिलेख के सहित)
(ii) सेवा अभिलेख	25	

(RBE 02/06)

लिखित परीक्षा के प्रश्न–पत्र का व्यवहारिक आधार होना चाहिये तथा इसे इस तरीके से बनाया जाना चाहिये कि उम्मीदवारों के सैद्धान्तिक ज्ञान के साथ–साथ व्यवहारिक समस्याओं को हल करने की क्षमता को जाँचा जा सकें। (RBE 142/2016)

लिखित प्रश्न–पत्र के कुल अंकों का 10% राजभाषा सम्बन्धी नीति तथा राजभाषा नियमों सम्बन्धित प्रश्नों हेतु निर्धारित होगें। कर्मचारियों को राजभाषा नीति व नियमों के प्रश्नों के हल के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये जबकि यह प्रश्न अनिवार्य नहीं होगें। (15 अंक कुल 150 अंक के प्रश्न–पत्र में से)

प्रश्न पत्रों का निर्धारण व उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन विभिन्न वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड लेवल–I के अधिकारियों के द्वारा किया जायेगा तथा यह जरूरी नहीं है कि वे चयन समिति के सदस्य हों। राजभाषा नीति वे राजभाषा नियकों के प्रश्न मुख्य राजभाषा अधिकारी के परामर्श से या उनके द्वारा बनाये जा सकते हैं।

नेतृत्व क्षमता, व्यक्तित्व, ज्ञान और योग्यता की परख मौखिक परीक्षा के द्वारा की जायेगी। सेवा अभिलेख के लिये अंक, सेवा अभिलेख या गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर दिये जोयेगें ताकि इसमें सत्यनिष्ठा को विशेषतः ध्यान में रखा जाना चाहिये।

सफल अभ्यार्थी निम्नलिखित रूप से व्यवस्थित किये जायेगेंः–

(i) 80% अंक तथा उससे अधिक के लिये ग्रेड ''उत्कृष्ट''

(ii) 60% से 79% के लिये ग्रेड ''अच्छा''

70% चयन / 30% एल.डी.सी.ई. परीक्षा हेतु कार्मिक अधिकारी व उत्तर पुस्तिका जाँचकर्ता हेतु समेकित मार्गदर्शन (Consolidated guidelines) (RBE 67/14)

कर्मचारी जिन्हें ''उत्कृष्ट'' श्रेणी क्रम प्राप्त किया है उन्हें ''अच्छा'' श्रेणी क्रम प्राप्त करने वालों से ऊपर रखा जायेगा तथा प्रत्येक समूह में उनकी परस्पर वरीष्ठता बनाये रखी जायेगी।

चयन समिति द्वारा की गई सिफारिश महाप्रबन्धक के पास स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। यदि वे प्रस्तुत सिफारिश पर स्वीकृति नहीं देते हैं तो उनके द्वारा उसका कारण लिखा जाना चाहिये तथा नये चयन के लिये आदेश देने चाहिये। महाप्रबन्धक द्वारा पेनल स्वीकृत किये जाने पश्चात उसमें किसी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन केवल रेलवे बोर्ड की पूर्व स्वीकृति से ही किया जा सकता है।

पेनल की वैद्यता (Currency of panel) :

पेनल की वैद्यता सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन की तिथि से 2 वर्ष या अगले चयन के आधार पर नया पेनल उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, तक रहेगी। अगर अनुमोदित पैनल का कुछ भाग या पूरा भाग कुछ समय के लिये निलम्बित रखा गया हो, जो कि न्यायालय निर्देश के कारण से हो सकता है, तो पेनल की वैद्यता की गणना न्यायालय निर्देश के समय को घटाकर मानी जायेगी। (ऐसे मामलों में) न्यायालय निर्णय के पश्चात महाप्रबन्धक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के विषय में विचार :

उस मामले में जहाँ कर्मचारी चयन के लिये पात्र हो व विदेश में प्रतिनियुक्ति /अल्पकालिक नियक्ति परहो तथा कुछ महीनों में वापस नहीं आ सकते हो तो उनकी अनुपस्थिति में चयन आयोजित किया जा सकता है व उनके इंतजार किये बिना अन्तिम कर दिया जाना चाहिये तथा उनकी विदेश वापसी पर आयोजित प्रथम चयन में उन्हें बुला लिया जाना चाहिये तथा उसमें अगर वह चयनित हो जाता हे तो उसे प्रोफोर्मा आधार पर उस पैनल में यथोचित स्थान पर सम्मिलित करने की कार्यवाही की जानी चाहिये जो उसके विदेश में प्रतिनियुक्ति के दौरान बनाया गया था। लेकिन उसको किसी भी प्रकार के एरियर का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा पैनल अनुसार पदोन्नति पर वास्तविक रूप से कार्यग्रहण करने की दिनांक से उसका वेतन निर्धारण होगा। जो कर्मचारी देश में ही अन्य विभागों /कार्यालय में ही प्रतिनियुक्ति पर है उनके सम्बन्ध में यह सनिश्चित कर लिया जाना चाहिये कि ऐसे कर्मचारी को चयन बाबत पर्याप्त नोटिस दिया गया है तथा चयन में उनके बारे में विचार किया गया है।

समूह ''ख'' में चयनित कर्मचारियों की चिकित्सीय जाँच :

समूह ''ख'' में पदोन्नति हेतु चयनित कर्मचारियों को शारीरिक स्वस्थता सहित सभी प्रकार से चुस्त दुरूस्त होना चाहिये। समूह ''ग'' के कर्मचारी निर्धारित मेडिकल में उत्तीर्ण पाये जाने पर ही समूह ''ख'' में पदोन्नति के पात्र होगें तथा निर्धारित मेडिकल में उत्तीर्ण नहीं होने पर उन्हें समूह ''ख'' में पदोन्नति देय नहीं होगी। (तदर्थ आधार पर भी नहीं) (RBE 02/06)

पूरक चयन :

अनुपस्थित रहे कर्मचारियों हेतु एक से अधिक पूरक चयन का आयोजन नहीं किया जायेगा। परिचालन व यॉंत्रिक –इंजीनियरिंग विभाग को छोड़कर शेष सभी विभागों के लिये एक ही चयन आयोजित किया जायेगा। तथा परिचालन व यॉंत्रिक –इंजीनियरिंग विभाग हेतु अलग–अलग स्ट्रीम हेतु निम्नानुसार अलग से चयन आयोजित किया जायेगाः–

यॉंत्रिक इंजीनियरिंग विभाग	1. कैरेज व वैगन
	2. लोको (Open Line)
	3. कारखाने
परिचालन विभाग	1. वाणिज्य
	2. परिचालन

पदोन्नति की मानाही : समूह ''घ'' में पदोन्नति होने पर कर्मचारी अगर पदोननति के लिये मना करता है, तो उसकी बारी आने से एक वर्ष के लिये पदोन्नति रोकी जायेगी तथा एक वर्ष पश्चात पदोन्नति के लिये पात्र होने पर वह पदोन्नति के लिये फिर मना करता हे तो उसका नाम पेनल से हटा दिया जायेगा। तथा कर्मचारी को मनाही पश्चात पदोन्नति के मामले में उसे पदोन्नति की प्रभावी तारीख से वरीयता देय होगी तथा वे सभी कर्मचारी, जो नियमित आधार पर उससे पहले पदोन्नत हो गये हे, उससे वरिष्ठ होगें।

समूह ''ग'' कर्मचारियों की चयन /पदोन्नति

(Para 210 to 228, IREM-I)

चयनित या गैर चयनित पदों का निर्धारण :

रेलवे बोर्ड द्वारा सेवा की माँग के अनुसार चयनित या गैर चयनित पदों का निर्धारण किया जाता है।

रिक्तियों का निर्धारण : गैर चयनित पदों पर पदोननति के लिये रिक्तियों की गणना वर्तमान रिक्तियाँ + अगले 6/4 महीनों और एक वर्ष, जैसा भी मामला हो, के दौरान होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों के आधार पर की जायेगी। प्रत्याशित रिक्तियों की अवधारणा में निम्नलिखित प्रकार की रिक्तियों को सम्मिलित किया जा सकता है:–

क सेवानिवृत्ति या अधिवार्षिता सेवानिवृत्ति से होने वाली रिक्तियाँ

ख कर्मचारी द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आवेदन के कारण से होने वाली रिक्तियाँ बशर्ते वह स्वीकार कर लिया जाना सम्भावित हो।

ग उच्च वेतनमान की रिक्तियाँ जिसे भरने पर प्रस्तावित पेनल में से नियुक्ति की आवश्यकता होगी।

घ प्रतिनियुक्ति पर जाने के कारण होने वाली रिक्तियाँ (जिनकी प्रतिनियुक्ति स्वीकार हो चुकी हो)।

ड़ कर्मचारियों की संख्या जिनका चयन पहले से ही संवर्ग बाह्य पदों में हो गया हो।

च समान तथा उच्च वेतनमानों में ऐसे नये पदो ंके सृजन के कारण होने वाली रिक्तियाँ जिसे लेखा विभाग का सत्यापन तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

छ चयन के लिये विचारार्थ अवधि में कर्मचारियों के अन्तर मण्डल /रेलवे स्थानान्तरण से होने वाली सम्भावित रिक्तियाँ।

पात्रता शर्तें :

1 समूह ''ग'' के अन्तर्गत पदोन्नति की पात्रता के लिये निकटतम नीचे के ग्रेड में सेवा का न्यूनतम काल दो साल होना चाहिये, चाहे कर्मचारी आरक्षित समुदाय से सम्बन्ध रखता है या नहीं।

2 वास्तविक रूप से पदोन्नति करते समय कम से कम दो वर्ष की संतोषजनक सेवा होनी चाहिये। कर्मचारी जो नीचे के सम्बन्धित ग्रेड में नियमित है व अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जा सकता है तथा चयनित हो सकता है। लेकिन वास्तविक रूप से पदोन्नति तब ही की जा सकती है जबकि उसने नीचे के ग्रेड में दो साल की सेवा पूरी कर ली हो।

3 यदि उपरोक्त शर्तों में कनिष्ठ कर्मचारी अगले उच्च वेतनमान में पदोन्नति हेतु पात्र होता है तो वरिष्ठ कर्मचारी भी पात्र माना जायेगा चाहे उसने निम्न वेतनमान में दो वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं की हो।

4 समान वेतनमान में अन्य संवर्ग में नियुक्ति पश्चात कर्मचारी की नये संवर्ग में दो वर्ष सेवा पश्चात ही पदोन्नति विचारणीय होगी।

5 नीचे के ग्रेड में दो वर्ष सेवा की शर्त स्थानापन्न /तदर्थ रिक्तियों के लिये भी लागू होगी।

पदोन्नति :

रेल सेवक को चयनित या अचयनित पद पर तभी पदोन्नत किया जा सकता है जबकि वह उस पद पर कार्य करने के योग्य पाया जाता है। महाप्रबन्धक, विभागाध्यक्ष या मण्डल रेल प्रबन्धक कर्मचारियों की पदोन्नति के लिये विभागीय और अन्य परीक्षा, जो कि योग्यता जाँच हेतु आवश्यक है, निर्धारित कर सकते है।

शारीरिक निःशक्त कर्मचारियों की पदोन्नति :

केवल शारीरिक अयोग्यता (Physical disability) के आधार पर पदोन्नति के मामले में कोई विभेद नहीं किया जा सकता तथा उच्च पद में उसकी पदोन्नति के लिये इस प्रकार के अन्य कर्मचारी के साथ उसकी बारी के आधार पर अन्य योग्य कर्मचारियों के साथ चयन /पात्रता /ट्रेड टेस्ट के लिये विचार किया जायेगा। (RBE 86/99)

गैर चयनित पद पर पदोन्नतियों हेतु निम्न सिद्धान्त अपनाये जायेगें :

1 कर्मचारी निकटतम नीचले वेतनमान में कम से कम दो वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर पदोन्नति के पात्र होगें, बशर्ते की किसी विशेष कोटि में पदोन्नति के लिये निचले वेतनमान में अधिक या कम सेवा निर्धारित न की गयी हो। नियमित सेवा से पूर्व बिना ब्रेक के की गई तदर्थ सेवा को भी इस उद्देश्य से गणना में लिया जायेगा। वास्तविक पदोननति के समय दो वर्ष सेवा की शर्त पूर्ण होनी चाहिये, पात्रता के समय यह आवश्यक नहीं है। यदि उपरोक्त निचम के अन्तर्गत एक कनिष्ठ ऐसे पद के लिये पात्र होगा, तो उससे वरिष्ठ भी पात्र माना जायेगा, चाहे उसने दो वर्ष की सेवा या अधिक पूरी न की हो। (RBE 175/98)

2 वर्तमान रिक्तियाँ तथा अगले 06 माह में होने वाली रिक्तियों के बराबर कर्मचारियों को उपयुक्तता परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा जबकि ट्रेड टेस्ट के मार्फत् भरे जाने वाले पदों हेतु वर्तमान रिक्तियाँ तथा अगले 04 माह में होने वाली रिक्तियों को लिया जायेगा।

3 जहाँ गैर चयनित पदों को कर्मचारियों की विभिन्न कोटियों से भरा जाता है, वहाँ उपयुक्तता हेतु बुलाये जाने वाले कर्मचारियों की सीमा निर्धारित नहीं होगी। उन मामलों में जहाँ पदों को कोटा आधारित भरा जाता है, यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि प्रत्येक कोटि में से बुलाये गये अभ्यार्थियों की पर्याप्त संख्या /प्रतिनिधित्व हो। उपयुक्तता परीक्षा पास करने पर पात्र कर्मचारियों को चयनित सूची में रखा जायेगा लेकिन जो कर्मचारी परीक्षा में योग्य नहीं पाये गये है उनको मात्र कोटा पूर्ण करने हेतु चयनित सूची में नहीं लिया जाना चाहिये।

4 कर्मचारी जिसने उपयुक्तता परीक्षा एक बार उत्तीर्ण कर ली हो उसे परीक्षा हेतु दुबारा नहीं बुलाया जायेगा तथा रिक्तियाँ उपलब्ध होने पर वह पदोन्नति के लिये पात्र होगा।

5 उपयुक्तता परीक्षा का आयोजन उपयुक्त अंतराल में किया जाना चाहिये जो छःमाह से कम न हो। पिछली परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे उन कर्मचारियों सहित सभी पात्र कर्मचारियों को उनकी वरिष्ठता के आधार पर परीक्षा हेतु बुलाया जाना चाहिये। छःमाह की अवधि की गणना पिछला उपयुक्तता परिणाम घोषित होने की तिथि से की जायेगी।

6 यदि कर्मचारी उपुयक्तता परीक्षा में अनुतीर्ण हो जाता है तथा छःमाह पश्चात आयोजित होने वाली उपयुक्तता परीक्षा में पुनः बुलाया जाताहै तथा वह उसे उत्तीर्ण कर लेता है तो उसको पदोन्नति हेतु उसके कनिष्ठ पर प्राथमिकता दी जायेगी जिसने उपयुक्तता परीक्षा उससे पहले उत्तीर्ण कर ली हो, लेकिन रिक्ति के कारण पदोन्नति हेतु प्रतीक्षा में है।

चयनित पद :

रेलवे बोर्ड द्वारा चयनित हेतु वर्गीकृत पदों को पात्र कर्मचारियों से भरने के लिये चयन एक जाँच प्रक्रिया है। चयन नियमित अन्तराल से संचालित किया जाना चाहिये तथापित अगले चयन का आयोजन पिछले पेनल के न्यूनतम छःमाह के अन्तराल में किया जाना चाहिये। चयन बोर्ड द्वारा बनाये गये पेनल द्वारा चयनित पद भरे जाते हैं। अभ्यार्थी की योग्यता निर्धारण हेतु चयन में केवल लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी जिसके लिये अग्रिम सूचना भिजवाई जायेगी। अध्यापक, विधि सहायक, फिजियोथैरेपिस्ट, टेलीफोन ऑपरेटर, क्षेत्रीय प्रशिक्षण विद्यालय में प्रशिक्षक, आशुलिपिक, मुख्य टंकक, प्रोटोकॉल निरीक्षक, रिसेप्शनिष्ट, पब्लिसिटी /विज्ञापन निरीक्षक, फोटोग्राफर्स /कैमरामेन तथा छात्रावास अधीक्षक हेतु चयन के लिये लिखित परीक्षा के साथ मौखिक परीक्षा भी आयोजित होगी। कर्मचारी, जो उस ग्रेड में न्यूनतम दो वर्ष से सेवा में है, केवल वे ही पदोन्नति के लिये पात्र होगें। दो वर्ष सेवा शर्त पदोन्नति करते समय पूरी होनी चाहिये तथा विचार करते समय यह आवश्यक नहीं हैं। यदि उपरोक्त नियम की विशिष्टता में, एक कनिष्ठ कर्मचारी पदोन्नति के लिये पात्र होगा तो उसका वरिष्ठ कर्मचारी भी पदोन्नति के लिये भी पात्र होगा फिर चाहे उसने दो वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं की हो।

पायलेट (सवारी) के पद पर पदोन्नति के लिये अभ्यार्थी की व्यवसायी योग्यता को निर्धारित करने के लिये चयन के अन्तर्गत केवल मौखिक परीक्षा होगी जो कि सम्बन्धित कर्मचारी के पदोननति पाठ्यक्रम पास करने के पश्चात वरियता से होगी। (RBE 137/03 & 154/05)

रिक्तियों का तीन गुना संख्या में योग्य कर्मचारियों को चयन हेतु बुलाया जायेगा।

आपातिक आधार (Fortuitious Basis) पर तुरन्त नीचे के ग्रेड में कार्यरत कर्मचारी विचारणीय /योग्य नहीं होगें। (RBE 149/99)

पूर्ववृति ग्रेड पे 1800 की चतुर्थ श्रेणी की कोटियाँ, जोकि अब ग्रुप ''सी'' में उन्नयित हो चुकी हैं, वे पूर्व में उपलब्ध AVC के अनुसार ग्रुप ''सी'' की कोटियों के चयन हेतु लागतार पात्र रहेगी। साथ ही वे स्टेनोग्राफर (ग्रेड पे 2400) में पदोन्नति हेतु विचारणीय श्रेणी में रहेगें। (RBE 02/14)

टिप्पणी :

1 अनिच्छा /मनाही करने वाले कर्मचारी की चयन की पात्रता सूचि में गणना नहीं की जायेगी तथा उसके एवज में अन्य योग्य कर्मचारी को चयन हेतु बुलाया जायेगा।

2 यदि अभ्यार्थी अनिच्छा दिये बिना, चयन में शामिल नहीं होता है तो उसे चयन की पात्रता सूचि की गणना में लिया जायेगा तथा पूरक चयन हेतु बुलाया जायेगा। यदि वह चयन प्रारम्भ होने के पश्चात अपनी अनिच्छा व्यक्त करता है तो उसके एवज में अतिरिक्त व्यक्ति नहीं बुलाया जायेगा।

(RBE 149/99)

i चयन के लिये सम्बन्धित केडर की वर्तमान रिक्तियाँ तथा अगले 15 माह में होने वाली सम्भावित रिक्तियों को लिया जायेगा तथा निर्माण, विद्युतिकरण व अन्य प्रोजेक्ट में उपलब्ध वह रिक्तियाँ जो रिपोर्ट की गई है, को भी इसमें जोड़ा जायेगा। केडर बाह्य पद के चयन (Ex Cadre Post) हेतु वास्तविक रिक्ति व अगले 02 वर्ष में होने वाली रिक्तियों को सम्मिलित किया जायेगा। (RBE 141/97)

ii सम्भावित रिक्ति में सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति /त्याग–पत्र, उच्च वेतनमान रिक्ति, प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले कर्मचारी, बाह्य संवर्ग हेतु चयनित कर्मचारी, नये पदों का सृजन जो अनुमोदित हो, व अंतर रेलवे

/मण्डल स्थानान्तरण हेतु अनुमोदित मामलों के कारणों से होने वाली रिक्तियाँ सम्मिलित है। (RBE 38/98)

सभी चयन नियमित रूप से वर्ष में आयोजित होने चाहिये। अगर पूर्व पेनल समाप्त हो गया हो या पूर्व चयन में वास्तविक संख्या के कर्मचारी चयनित न होने के कारण पुनः चयन करवाया जाना हो तो कम से कम छःमाह का अन्तराल आवश्यक है।

चयन के बीच में छःमाह सम्बन्धी पाबंदी सामान्य चयन पर लागू नहीं होगी जहाँ योग्य कर्मचारियों को विकल्प के आधार पर बुलाया जाता है। (RBE 94/97 & 279/98)

छठे वेतन आयोग पश्चात अराजपत्रित पदों का संशोाधित वर्गीकरण तथा भरने का तरीकाः (RBE 161/09)

1 एक बार छूट के अन्तर्गत 31.08.09 तक विद्यमान रिक्तियों को संशोधित वर्गीकरण के अनुरूप निम्नानुसार भरा जायेगाः–

अ ग्रेड पे रू 4200 के वे पद जो वरियता सह उपयुक्तता और उपयुक्ता (इसे वरियता सह उपयुक्ता पढ़ा जाना हैं – RBE 103/10) के आधार पर भरे जाते है, उसके लिये निर्धारित बैंच मार्क के अन्तर्गत 15 में से 06 अंक प्राप्त करने होगें। इसके लिये पिछले तीन वर्षों की गोपनीय रिपार्ट आधार होगी।

ब ग्रेड पे रू 4600 व अधिक के पद जो निर्धारित बैंच मार्क सहित उपयुक्तता से भरे जाते है, उनके लिये 15 में से 07 अंक बैंच मार्क के अन्तर्गत निर्धारित किये गये हैं। इसके लिये पिछले तीन वर्षों की गोपनीय रिपोर्ट आधार होगी।

स उपरोक्त ''अ'' व ''ब'' हेतु विचारार्थ अभ्यार्थियों की अगर 2008–09 की गोपनीय रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है तो 2007–08 वर्ष तक की गोपनीय रिपोर्ट को लेखे में लिया जा सकता है।

द वर्तमान निर्देशन के अनुरूप डी एण्ड आर /विजिलेंस आदि की अनापत्ति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

य जहाँ बदले हुये सुझावों के अनुसार चयन /सामान्य चयन /एलडीसीई कोटा के तहत भरे जाने निर्धारित हेतु है, वहाँ पद वर्तमान प्रक्रिया अनुसार ही भरे जायेगें।

र वर्तमान योग्यता शर्तें, जेसे ट्रेड टेस्ट पास करना, अभिक्षमता परीक्षण, फुटप्लेट अनुभव सम्बन्धी शर्त, पदोननति कोर्स पास करनाआदि, पदोन्नतियों के लिये आवश्यक शर्तें लगातार बनी रहेगी।

ल आमेलित वेतनमान (Merged Grades) सहित उच्च वेतनमान में पदोननति हेतु दो वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने सम्बन्धी शर्त यथावत रहेगी अगर अधिक लम्बी अवधि कही निर्धारित न हो तो।

2 सीधी भर्ती तथा पदोन्नति कोटा की ग्रेड पे 4200 तथा 4600 की रिक्तियों को भरने के लिये निम्निलिखित का अनुसरण किया जायेगाः–

i* तकनीकी सुपरवाईजर ग्रेड पे रू 4200 के पदों को वर्तमान प्रतिशत अनुरूप 26% (नियुक्ति ग्रेड रू 5000–8000 का) तथा 24% (पदोन्नत ग्रेड रू 5500–9000) में विभाजित किया जायेगा। 24% वरिष्ठतम स्टॉफ तथा ग्रेड पे रू 4200 के पद अलग ब्लॉक में रखे जायेगें तथा नीचे के कुल केडर के 26% पदों को सुपरवाईजर केडर में वर्तमान प्रक्रिया अनुसार ही एलडीसीई, सीधी भर्ती व पदोन्नति कोटे से भरा जायेगा।

ii* इसी प्रकार ग्रेड पे रू 4600 के सेक्शन इंजीनियर के पदों को भरा जायेगा। इन पदों को 21:29 के औसत में बाँटा जायेगा। वरिष्ठतम 21 स्टॉफ के पद अलग ब्लॉक में रखे जायेगें और सुपरवाईजर के कुल केडर के बाकी 29% पदों को वर्तमान प्रक्रियानुसार पदोन्नति कोटा से तथा सीधी भर्ती से भरा जायेगा।

iii* ग्रेड पे रू 4200 तथा 4600 की सभी रिक्तियों को भरने में इसी सिद्धान्त का पालन किया जायेगा।

नोट : उपरोक्त पेरा 2 (i) (ii) (iii) को निरन्त किया गया RBE 158/11
उपरोक्त पेरा 2 (i) (ii) (iii) को पुनः लागू किया गया RBE 65/12

3 आरबीई संख्या 161/09 के सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड के आगे स्पष्ट किया है कि 31.12.2011 तक उत्पन्न होने वाली रिक्तियों हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगीः–

i वरीयता सह उपयुक्तता के आधार पर ग्रेड पे 4200 के लिये मानक अंक 6 तथा ग्रेड पे 4600 व ऊपर के लिये मानक 07 निर्धारित किये गये हैं। यह 31.08.2009 तक की रिक्तियों को भरने के लिये एक समय अपवाद स्वरूप छठे वेतन आयोग के अन्तर्गत ग्रेडों के आमेलन (Merge) के कारण किया गया है।

ii अब वरीयता सह उपयुक्तता के आधार पर 31.12.2011 तक की रिक्तियों के लिये ग्रेड पे 4200 व 4600 व ऊपर के पदों को पदोननति द्वारा भरे जाने के लिये मानक अंक 15 में से क्रमशः 6 व 8 अंक होगें। (RBE 81/2010)

4 विचार करने के पश्चात रेलवे बोर्ड द्वारा विनिश्चय किया गया कि RBE 161/09 में दी गई प्रक्रिया दिनांक 31.12.2012 तक होने वाली पदोन्नति रिक्तियों में RBE 81/10 में दिये गये बैंच मार्क के साथ अगले आदेशों तक लागू रहेगी अर्थात् ग्रेड पे 4200 व 4600 में पदोननति जहाँ ''वरियता सह उपयुक्तता'' के आधार पर होती हैं वहाँ 15 में से क्रमशः 6 व 8 अंक आवश्यक होगें।

पदोन्नति हेतु दी गई उपरोक्त प्रक्रिया व बैंक मार्क दिनांक 31.12.2015 तक लागू रहेगी।

उपरोक्त सम्बन्ध में आरबीई 161/09, 81/10, 158/11, 65/12, 02/13] 51/13, 01/14, 63/14 & 20/2017 के क्रम में रेलवे बोर्ड द्वारा यह विनिश्चय किया गया हैं कि सीधी भर्ती, सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के कोटे आदि की गणना करते समय विलय किये गये ग्रेडों की कुल संख्या को ध्यान में रखा जायेगा। (RBE 87/14)

तदर्थ पदोन्नति : (RBE 20/2017)

1 तदर्थ पदोन्नतियों के बचने के लिये चयन /गैर चयन / ट्रेड टेस्ट वाले पदों को प्रक्रिया पूर्ण कर यथा समय भरने की कार्यवाही होनी चाहिये। तथापि सेवा की आवश्यकता में अपरिहार्य हो पर पात्र वरिष्ठतम कर्मचारी की पदोननति पर विचार किया जा सकता है। नियमानुसार एक कनिष्ठ को उसके वरिष्ठ को नकार कर पदोन्नत नहीं किया जा सकता, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी वरिष्ठ की अयोग्यता के मद्धेनजर कनिष्ठ की तदर्थ पदोन्नति के आदेश न दें। किसी भी परिस्थिति में दूसरी तदर्थ पदोन्नति नहीं हो सकती।

2 तदर्थ पदोन्नति हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देशों का पालन किया जाना चाहियेः–

अ गैर चयनित पदों पर तदर्थ पदोन्नति : गैर चयन पदो ंके मामलें, में जिसमें ऐसे मद भी शामिल है जिन्हें ट्रेड टेस्ट के आधार पर भरा जाता हे, निर्धारित प्रक्रिया समय पर पूर्ण कर रिक्तियों को भरा जाना चाहिये। अतः अचयनित पदों पर तदर्थ पदोन्नति नहीं होनी चाहिये।

ब चयनित पदों में तदर्थ पदोन्नति : तदर्थ पदोन्नति छुट्टी रिक्ति व अल्प अवधि की रिक्ति हेतु 04 माह तक की जा सकती हे इसके पश्चात वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा कर्मचारी का भुगतान तब तक नहीं किया जायेगा जब तक की इस हेतु मुख्य कार्मिक अधिकारी का व्यक्तिगत अनुमोदन प्राप्त न हो।

स साधारण : नियमित रिक्तयों के विरूद्ध तदर्थ पदोन्नति नहीं की जानी चाहिये। यदि तदर्थ पदोन्नति अपवादिक कारणों, जैसे न्यायालय के आदेशों आदि, से अनिवार्य हो जाती है तो मुख्य कार्मिक अधिकारी की व्यक्तिगत स्वीकृति से ही ऐसा किया जा सकेगा। विशेष परिस्थितियाँ, जैसे न्यायालय आदि की रोक के कारण पैनल नहीं बनाया जा सकता हो, ऐसे मामलों को छोड़कर किसी भी मामले में अधिकतम छःमाह से अधि कइस प्रकार की व्यवस्था की अनुमति नहीं दी जा सकती। (RBE 279/98)

चयन बोर्ड :

अ चयनित पद को भरने के लिये सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से उपयुक्त चयन कोर्ड का गठन किया जायेगा।

ब महाप्रबन्धक या कार्यालय प्रधान या सक्षम प्राधिकारी यथा मण्डल रेल प्रबन्धक /अतिरिक्त मण्डल रेल प्रबन्धक /मुख्य कारखाना प्रबन्धक के अनुमोदन से चयन बोर्ड का गठन किया जायेगा। (RBE 92/2000)

चयन बोर्ड का गठन :

अ तीन अधिकारियों से कम का चयन बोर्ड का गठन नहीं किया जायेगा। इस चयन बोर्ड में एक कार्मिक अधिकारी व एक जिस विभाग का चयन करवाया जाना है उस विभाग का अधिकारी व एक अन्य अधिकारी होगा। (RBE 52/98)

ब जब चयन बोर्ड केवल तीन अधिकारियों से बनाया जाता है, इसमें कोई भी एक दूसरे का सीधे सहायक अधिकारी नहीं होगा।

स वेतनमान रू 5500–9000 (आरएसआरपी) (प्री VI पीसी) तथा ऊपर के पदो ंके चयन हेतु चयन बोर्ड कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारियों से बनाया जायेगा। अन्य भी चयनित पदो ंके लिये चयन बोर्ड का गठन वरिष्ठ स्केल के नीचे के अधिकारियों से नहीं किया जायेगा। कार्मिक विभाग के चयन के अलावा चयन बोर्ड में कार्मिक अधिकारी अन्य अधिकारियों से एक स्तर नीचे का अधिकारी नामित किया जा सकता है जिसे कि अन्य सदस्यों के अनुरूप ही अधिकार प्राप्त होगें।

द छठा वेतन आयोग लागू होने के पश्चात 4200 व ऊपर के ग्रेड पे पदो ंके चयन हेतु कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान (JA Grade) के अधिकारियों का तथा 2800 व उससे नीचे के ग्रेड पे के पदो ंके चयन हेतु वरिष्ठ वेतनमान (Senior Scale) के अधिकारियों से चयन बोर्ड का गठन किया जायेगा। (RBE 38/11)

टिप्पणी : मण्डलों में जहाँ जे.ए. ग्रेड के अधिकारी सम्बन्धित विभाग से उपलब्ध नहीं हैं, तो चयन बोर्ड के सदस्यों के रूप में अन्य विभागों के जे.ए. ग्रेड के अधिकारियों को नामित किया जा सकता है। सम्बन्धित विभाग का स्वतंत्र प्रभार वरिष्ठ स्केल अधिकारी (जो किसी अन्य सदस्य का अधीनस्थ नहीं होगा) चौथे सदस्य के रूप में नामांकित किया जा सकता है जो चयन की कार्यवाही पर हस्ताक्षर भी करेगा। कार्मिक अनुभाग के चयन के मामले में यदि मण्डल में जे.ए. ग्रेड का अधिकारी कार्मिक विभाग में उपलब्ध नहीं है तक मण्डल के वरिष्ठ स्केल के कार्मिक अधिकारी सहित नजदीक के मण्डल या प्रधान कार्यालय के जे.ए. ग्रेड के अधिकारी को चयन बोर्ड में शामिल किया जा सकता है। (RBE 52/98 & 45/99)

य चयन बोर्ड में अ.जा./अ.ज.जा. के अधिकारी को (चाहे वह उसी विभाग का हो अथवा अन्य विभाग /रेलवे /उत्पादन इकाई का) शामिल किया जाना चाहिये।

चयन बोर्ड में अ.जा./अ.ज.जा. से सम्बन्धित अधिकारी को शामिल करना अनिवार्य है न केवल तब जब

रिक्तियाँ इन समुदायों के लिए आरक्षित हो बल्कि तब भी जब अ.जा./अ.ज.जा. समुदाय से सम्बन्धित उम्मीदवार अनारक्षित रिक्तियों को भरने के लिये विचार करने के योग्य हो।

र i चयन को अधिक पारदर्शी व सुचारू करने हेतु रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 20.10.1999 (RBE 272/99) व इससे सम्बन्धित अन्य निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाये।

ii चयन समिति के सदस्यों से इस सम्बन्धी विशेष पावती ली जाये कि उन्होंने इस सम्बन्धी नियमों /निर्देशों का अवलोकन कर लिया हैं तथा सम्बन्धित चयन, जो कि प्रक्रियाधीन है, (selection for which proceedings are being drawn) में इनकी अनुपालना की गई हैं। (RBE 57/13)

अनु.जाति /जन जाति उम्मीदवारों का प्रशिक्षण :

संरक्षा /गैर सरंक्षा कोटियों में पदोन्नति हेतु अ.जा./अ.ज.जा. समुदायों से सम्बन्धित उम्मीदवार की पूर्व चयन /पदोन्नति प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिये। इस प्रशिक्षण में लिखित परीक्षा के लिये निर्धारित सम्पूर्ण पाठ्यक्रम समाहित होना चाहिये।

गोपनीय रिपोर्ट : जहाँ उच्च वेतनमान में पदोन्नति हेतु न्यूनतम दो वर्ष की सेवा आवश्यक हैं और वहाँ अगर तीसरे वर्ष की गोपनीय रिपोर्ट उपलब्ध नहीं हैं तो पिछली दो गोपनीय रिपोर्ट के औसत अंक को तीसरे वर्ष की गोपनीय रिपोर्ट हेतु विचार में लिया जायेगा। (RBE 84/13)

चयन बोर्ड अपनाई जाने वाली प्रक्रिया :

अ i चयन के रूप में वर्गीकृत पदों पर पदोन्नति के लिये चयन के भाग के रूप में आयोजित लिखित परीक्षा में बहुविकल्प प्रकार (Objective) के लगभग 50% प्रश्नों का समायोजन होना चाहिये, लेखा विभाग को छोड़कर (लिखित परीक्षा के लिये कुल अंकों का 45 से 55% की सीमा के मध्य)। (RBE 137/03 & 123/06)

ii प्रश्न पत्र में 10% प्रश्न राजभाषा के होने चाहिये।

iii लिखित परीक्षा के लिये प्रश्न–पत्र प्रायोगिक प्रवृति का होना चाहिये अर्थात् इसे इस प्रकार बनाया जाये कि उम्मीदवार के सैद्धान्तिक ज्ञान के साथ–साथ उसके सामने आने वाली व्यवहारिक समस्याओं को सम्भालने की दक्षता की भी जाँच हो सकें। (RBE 144/05)

iv बहुविकल्पी (Objective) प्रश्नों का उत्तर देते समय किसी भी प्रकार की अशुद्धि संशोधन की अनुमति नहीं हैं। यदि कोई अशुद्धि संशोधन किया जाता है तो उस उत्तर को जाँचा नहीं जायेगा। अशुद्धि संशोधन निम्नलिखित में से किसी भी प्रकार का हो सकता हैः–

क काट–छाट

ख ओवर राइटिंग

ग एक से अधिक विकल्प पर सही का निशान तथा अन्य उत्तर भी सही का निशान लगाना, तथा

घ उत्तर में किसी भी प्रकार से किया गया संशोधन। (RBE 29/09)

v कार्मिक अधिकारी व चयन समिति के अन्य सदस्यों हेतु मार्गदर्शन सिद्धान्तों का प्रसारण (RBE 272/92, 26/14, 90/14)

vi. उत्तर पुस्तिकाओं की कोडिंग/डिकोडिंग नामित कार्मिक अधिकारी द्वारा ही की जायेगी। (RBE 82/10)

ब सक्षम प्राधिकारी (जो चयन समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर सकता है) अथवा चयन समिति के प्राधिकार के बिना उम्मीदवारों को अनुग्रह अंक देने का प्रावधान नहीं है। व्यक्तिगत मामलों में अनुग्रह अंक नहीं दिये जा सकते। (RBE 95/85)

स i उपयुक्त कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्ट (यदि है) व सेवारिकार्ड की जाँच चयन समिति करेगी। व्यक्तित्व, शैली, नैतृत्व क्षमता जैसेः– विभिन्न शीर्षों के तहत उम्मीदवारों का मूल्यांकन करने के लिये एकल मूल्यांकन शीट तैयार की जायेगी जिस पर चयन समिति के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किये जायेगें। मूल्यांकन शीट में किसी प्रकार का संशोधन किया गया हो तो उसे चयन समिति के सभी सदस्यों द्वारा अनुप्रमाणित किया जाना चाहिये। (RBE 149/99)

ii चयन पदों हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया सम्बन्धी स्पष्टीकरण –उत्तीर्ण अंक (Qualifying Marks) प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की वरिष्ठता के आधार पर पैनल बनाना। (RBE 17/14, 43/15)

iii चयन में आरक्षित पदो के विरूद्ध अजा/अजजा के उन कर्मचारियों को पहले पैनल पर रखा जायेगा जो बिना छूट (without relaxation) के उत्तीर्ण हुये हैं तथा इसके बाद आरक्षित कोटा में कमी रहने पर ही छूट के साथ उत्तीर्ण हुये अजा/अजजा के कर्मचारियों को पैनल रखा जायेगा। (RBE 152/99)

द प्राथमिक तौर पर चयन समग्र योग्यता के आधार पर किया जायेगा, लेकिन चयन समिति के मार्गदर्शन के लिये नीचे लिये गये तथ्यों व उनके आगे दिये सम्बन्धित अंकों का भी ध्यान रखा जाना चाहिये।

क्रस	तथ्य /शीर्ष	अधिकतम अंक	अर्हक अंक
i	व्यवसायिक योग्यता	50	30
ii	सेवा रिकार्ड	30	–
iii	वरीयता	20	–
	कुल :	100	60

i गोपनीय रिपोर्ट तथा अन्य सम्बन्धित रिकार्ड की जाँच करने के अलावा मूलभूत प्रशिक्षण स्कूल /संस्थान में कर्मचारी के निष्पादन की जाँच के लिये सेवा रिकार्ड जैसी मद पर विचार किया जाना चाहिये।

चयन के मामलों में जहाँ, कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्ट मेनटेन नहीं की जाती हैं, वहाँ ''रिकार्ड ऑफ सर्विस'' के शीर्षक में अंकों का आबंटन सेवा वृत (Service Record) के आधार पर किया जाना हैं, उसके लिये अंकों के आबंटन की समरूपता कसौटी (Uniformly Criteria) विभागीय समिति (Selection Commettee के सदस्यों द्वारा तय किया जायेगा। (PS No.: 86A/11 of NWR)

ii पैनल पर आने के लिये उम्मीदवार को व्यवसायिक योग्यता में कम से कम 60% अंक तथा कुल अंकों का 60% प्राप्त करना अनिवार्य है। कुछेक मामलों में जहाँ व्यवसायिक योग्यता की जाँच के लिये लिखित एवं मौखिक परीक्षा दोनों का आयोजन किया जाता है, वहाँ लिखित परीक्षा 35% अंकों से कम नहीं होगी तथा उम्मीदवार को मौखिक परीक्षा में बुलाने के लिये उसे लिखित परीक्षा में कम से कम 60% अंक प्राप्त करने होगें। (RBE 154/07)

यदि लिखित परीक्षा एक से अधिक प्रश्न–पत्रों की होती है तो उम्मीदवार को लिखित परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न–पत्र में 60% अंक प्राप्त करने आवश्यक हैं लेकिन यदि प्रश्न–पत्र एक से अधिक भाग में बंटा है तो प्रत्येक भाग में 60% अंक लाने की बाध्यता नहीं होगी। (RBE 144/07)

iii संवर्ग बाह्य पद के मामले में जहाँ कर्मचारी का मूल संवर्ग में लियन रहता है और वही पदोन्नतियाँ चाहता है, के मामले में उपर नियम (ii) के प्रावधान लागू नहीं होगें। (RBE 149/99)

iv मोटरमेन हेतु पदोन्नति के चयन के मामले में विभिन्न शीर्षों के तहत अंकों का वितरण नीचे दर्शाई गई तालिका में दिये गये शीर्ष के अनुसार होगाः– (RBE 35/06 & 139/06)

क्रस	तथ्य /शीर्ष	अधिकतम अंक	अर्हक अंक
i	व्यवसायिक योग्यता	50	30
ii	सेवा रिकार्ड	15	–
iii	वरीयता	15	–
iv	योग्यता परीक्षा (Aptitute Test)	20	(RDSO द्वारा निर्धारित न्यूनतम कट ऑफ)
	कुल :	100	60

य चयनित उममीदवारों के नाम वरीयता क्रम में रखे जायेगें, लेकिन जिन उम्मीदवारों ने 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हैं उन्हें उत्कृष्ट रूप में वर्गीकृत किया जायेगा तथा पेनल पर उन्हें तदनुसार रखा जायेगा लेकिन उन्हें कुल योग्य उम्मीदवारों के 50% से ऊपर नहीं रखा जा सकता है।

र सामान्य पदो के लिये, अर्थात् ऐसे पद जिस पर पदोन्नति हेतु विभिन्न कोटियों से उम्मीदवारों को बुलाया जाता है, चाहे वे उसी विभाग के हो अथवा अन्य विभागों के, उनके लिये चयन प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः–

i सभी पात्र कर्मचारी जो चयन पद की पात्रता की शर्तों को पूरा करते है, उनके लिये एक लिखित परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। (कुछेक मामलों में मौखिक परीक्षा भी ली जायेगी) उनमें विभिन्न शीर्षों के तहत अंकों का वितरण नीचे दर्शाये अनुसार होगाः– (RBE 263/98)

क्रस	तथ्य /शीर्ष	अधिकतम अंक	अर्हक अंक
i	व्यवसायिक योग्यता	50	30
ii	सेवा रिकार्ड	30	–
	कुल :	80	48

नोट (i) सहायत लोको पायलट (डीजल /इलेक्ट्रिक) एवं सहायक स्टेशन मास्टर के पदों पर पदोन्नति के चयन के मामलें में विभिन्न शीर्ष के तहत अंकों का वितरण नीचे दर्शाई गई तालिका में दिये गये शीर्ष के अनुसार होगें:– (RBE 35/06)

क्रस	तथ्य /शीर्ष	अधिकतम अंक	अर्हक अंक
i	व्यवसायिक योग्यता	50	30
ii	सेवा रिकार्ड	30	–
iii	योग्यता परीक्षा	20	(RDSO द्वारा निर्धारित न्यूनतम कट ऑफ)
	कुल :	100	60

नोट (ii) अंतिम पैनल वरीयता के आधार पर उन कर्मचारियों में से तैयार किया जायेगा, जिन्होंने कुल 60 अंक तथा व्यवसायिक योग्यता में कम से कम 60% अंक प्राप्त किये हैं लेकिन जिन्होंने 80% या इससे अधिक अंक प्राप्त किये हैं, उन्हें वरीयता क्रम में सबसे ऊपर स्थान दिया जायेगा।

(RBE 263/98, 35/06 & 123/06 & 17/14)

(iii)स्विचमेन, सहायक स्टेशन मास्टर, सहायक लोको पायलट, मोटरमेन इत्यादि को चयन के क्रम में मनोवैज्ञानिक परीक्षा(Psychological Test) पास करना आवश्यक होगा तथा जो कर्मचारी इसमें उत्तीर्ण नहीं होगें उन्हें पेनल /उपयुक्तता सूची पर नहीं रखा जा सकेगा। (RBE 173/99 & RDSO L.dt.08.07.13(NWR PS62/13)

ल चयनित उम्मीदवारों की सूची सक्षम प्राधिकारी को अनुमोदन के लिये प्रस्तुत की जायेगी। यदि सक्षम प्राधिकारी चयन समिति की सिफारिशों से सहमत नहीं हो तो मामले को महाप्रबन्धक को भेजा जायेगा, जो या तो उच्च स्तरीय चयन समिति का गठन करेगें अथवा जैसा उचित होगा अन्य आदेश जारी करेगें। यदि सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित पेनल अन्तिम रूप से तैयार कर जारी कर दिया जाता हे तथा बाद में यदि यह पाया जाता है कि इसमें कार्य प्रणाली सम्बन्धी कोई अनियमितता या अन्य त्रुटियाँ है जिसकी वजह से पेनल को या तो निरस्त किया जाना चाहिये अथवा उसमें बदलाव किया जाना आवश्यक हो तो जिस सक्षम प्राधिकारी ने पेनल अनुमोदित किया है उससे उच्चतर प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन लेकर बदलाव किया जा सकता है।

व जहाँ पर चयन सामान्य पद हेतु विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों से आवेदन–पत्र माँग कर करवाया जाता हैं, चाहे वे एक वरियता समूह से हो चाहे विभिन्न वरियता समूहों से हो व इस चयन हेतु विचार सीमा नहीं होती हैं यानि सभी पात्र कर्मचारियों को बुलाया जाता हैं जिन्होंने अपना आवेदन दिया हो तो उस चयन का पेनल कर्मचारियों द्वारा लिखित परीक्षा व सेवा रिकार्ड में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर बनाया जायेगा। प्राप्त अंकों में, जहाँ लागू हो वहाँ पर, अ.जा. व अ.ज.जा. कर्मचारियों को देय छूट लागू होगी। इस चयन में 80% व अधिक अंक लाने वाले कर्मचारियों हेतु ''उत्कृष्ठ'' सम्बन्धी कोई प्रावधान नहीं होगा। उक्त आदेश दिनांक 19.06.2009 से प्रभावी तथा इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी आदेशों के अतिक्रमश में होगें। (RBE 113/09, 17/14)

श विदेश में प्रतिनियुक्त कर्मचारी का चयन : जो कर्मचारी विदेश में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं उनका इंतजार किये बिना पेनल को अंतिम रूप दिया जा सकता है। विदेश से कर्मचारी के लौटने पर यदि यह पाया जाता है कि चयन के आधार पर उससे कनिष्ठ व्यक्ति को पदोन्नत कर दिया गया है तथा विदेश में रहने के कारण उनको चयन के लिये बुलाया नहीं गया हे तो अगले चयन में चयनित हो जाने पर कनिष्ठ कर्मचारी की तुलना में उनकी वरीयता समायोजित कर दी जायेगी। अगले चयन में यदि ऐसा कर्मचारी उत्कृष्ट श्रेणी प्राप्त करता है तो उसे तद्नुसार वरीयता के साथ पिछले पेनल में सम्मिलित कर लिया जायेगा।

ष पेनल को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद सम्बन्धित उममीदवार से औपचारिक अनुरोध प्राप्त होने पर उम्मीदवार द्वारा लिखित और मौखिक परीक्षाओं में पृथक रूप से प्राप्त किये गये अंकों का खुलासा किया जाये। (RBE 97/11)

पेनल की वैद्यता (Currency of Panel) :

क चयन समिति द्वारा तैयार किया गया तथा सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित पेनल की अवधि सक्षम अधिकारी के अनुमोदन की तिथि से दो वर्ष अथवा पेनल में चयनित कर्मचारियों की पदोन्नति तक जो भी पहले हो, तक रहेगी।

ख यदि कोई कर्मचारी पेनल पर आने के पश्चात अर्हक (Non-fortutous) रिक्त पड़े पद पर स्थानापन्न तौर पर कार्य कर लेता है, चाहे वह पद किसी कर्मचारी के छुट्टी पर जाने, प्रतिनियुक्ति पर अथवा अस्थाई स्थानान्तरण के कारण रिक्त हो, तो उसे नये चयन में बैठने की आवश्यकता नहीं होगी।

ग यदि पेनल पर कोई कर्मचारी उच्च क्रम में है तथा वह किसी ऐसे कारण से जो उसके नियंत्रण से बाहर हो, जैसे बीमारी अथवा पदोन्नति पर प्रशासन द्वारा कार्य मुक्त नहीं किये जाने आदि के कारण पदोन्नत नहीं हो पाया हो तथा पेनल पर उससे नीचके क्रम का कर्मचारी स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहा हो तो उसे नये चयन में बैठने की आवश्यकता नहीं है। यदि वरिष्ठ कर्मचारी अपने निजी कारणों से स्थानापन्न

पदोन्नति नहीं लेता हो तो यह माना जायेगा कि वह पदोन्नति हेतु मनाही करता है। ऐसे मामलों में अगला कनिष्ठ कर्मचारी पदोन्नति के लिये पात्र व्यक्ति है तथा जिस कर्मचारी ने पदोन्नति हेतु मनाही दी है वह उपरोकत पैरा (ग) में दिये लाभ का अधिकारी नहीं होगा।

उच्चतर पदों में कर्मचारियों का स्वतः पैनल में होना (Automatic Empanelment in highe grade) :

क चयन पद : यदि कोई रेल कर्मचारी एक ही पदोन्नति सारणी में, मध्यवर्ती ग्रेड चयन पद के लिये चयनित हुए बिना उच्चतर ग्रेड चयन पद के लिये चयनित होता है तो, उसे मध्यवर्ति ग्रेड चयन पद के लिये स्वतः ही चयनित हुआ माना जाना चाहिये, बशर्ते कि मूल समूह ''ग'' पद, मध्यवर्ती समूह ''ग'' चयन पद, और उसका वर्तमान समूह ''ग'' पद सभी एक ही पदोन्नति सारणी में हो और उनमें से कोई भी ऐसा सामान्य पद न हो जिसके लिये विभिन्न कोटियों के कर्मचारी पात्र हो। यदि मध्यवर्ती ग्रेड चयन पद के लिये चयन बोर्ड ने कुछ व्यक्तियों को ''उत्कृष्ट'' के रूप में रखा हो, तो उच्चतर ग्रेड समूह ''ग'' पद के लिये चयनित कर्मचारी को ''उत्कृष्ट'' के रूप में वर्गीकृत किया गया माना जायेगा और चयन बोर्ड द्वारा मध्यवर्ती ग्रेड चयन पद के लिये ''उत्कृष्ट'' के रूप में वर्गीकृत कर्मचारियों में वरिष्ठता के अनुसार रखा जायेगा, बशर्ते कि उस पद के लिये चयन, ऐसे कर्मचारी के उच्चतर ग्रेड चयन पद के लिये चयनित हो जाने के बाद हुआ हो।

ख अचयन पद : मध्यवर्ती ग्रेड के अचयन ग्रेड होने की स्थिति में, कर्मचारी को ऐसे मध्यवर्ती ग्रेड में तभी प्रोफार्मा स्तर मिलेगा यदि इस प्रयोजन के लिये निर्धारित कार्यविधी के आधार पर, उच्चतर ग्रेड के लिये योग्य होने के नाते, स्वीकृत वरिष्ठता एवं उपयुक्तता के अनुसार ऐसा स्तर देय हो।

पूरक चयन /पात्रता परीक्षा :

i निम्नलिखित मामलों में पूरक चयन परीक्षा का आयोजन किया जा सकता हैः–

क यदि उम्मीदवार को साक्षात्कार का बुलावा बहुत देरी से प्राप्त हुआ हो जिसकी वजह से उसे साक्षात्कार स्थल पर पहुॅचने में कठिनाई हो,

ख साक्षात्कार के लिये प्रशासन द्वारा समय पर कार्यमुक्त नहीं किया जाना,

ग उम्मीदवार की बीमारी की वजह से अथवा कोई ऐसा अन्य कारण जिस पर कर्मचारी का नियंत्रण न हो। विवाह समारोह में भाग लेना या ऐसे किसी अन्य समारोह में अथवा कोई अन्य कारण जिस पर उसका नियंत्रण हो, को अपरिहार्य अनुपस्थिति के रूप में नहीं माना जायेगा। बीमारी के दौरान कर्मचारी को रेलवे चिकित्सा अधिकारी की विशिष्ट सेवायें लेनी चाहिये।

ii जहाँ तक सम्भव हो पूरक चयन के लिये चयन समिति की बैठक में वही अधिकारी भाग लेगें जो पहले चयन समिति की बैठक में उपस्थित थे तथा यह बैठक पहले चयन के 01 माह के भीतर हो जानी चाहिये या सम्बन्धित कर्मचारी के कार्य पर लौटने पर। बशर्त है कि कर्मचारी पहले चयन होने के तीन माह के भीतर वापस कार्य पर लौट जायें। यदि कर्मचारी के लौटने में विलम्ब हो और वह तीन माह के अवधि में न लौट पाये तो चयन के परिणाम को विलम्बित न किया जाये और कर्मचारी अगर पूरक चयन में सम्मिलित होता तो उसके नाम को यह मानते हुए शामिल कर लिया जायेगा जैसे ि कवह पहले चयन में उपस्थित हुआ हो। पहले चयन की तिथि से 06 माह के बाद कर्मचारी कार्य पर लौटता है तो उसके नाम पर विचार नहीं किया जायेगा।

iii परीक्षा की तिथि के बारे में जानकारी नहीं मिलना, देर से मिलना या बीमारी की वजह से अनुपस्थिति के कारण आवश्यकता को पूरा करने के लिये सामान्यतः एक पूरक चयन का आयोजन किया जायेगा। प्रत्येक मामले की योग्यता के आधार पर मुख्य कार्मिक अधिकारी के व्यक्तिगत अनुमोदन से ही, बहुत कम मामलों में, दूसरे पूरक चयन का आयोजन किया जा सकता है।

गैर चयन पद के लिये : यदि कोई कर्मचारी किन्ही ऐसे कारणों से जो उसके नियंत्रण में नहीं हैं, जैसे लम्बी बिमारी की वजह आदि, से 06 माह की अवधि के भीतर योग्यता परीक्षा में उपस्थित नहीं हो पाता है तो वह ड्यूटी पर आने के बाद निश्चित अवधि के भीतर पूरक योग्यता परीक्षा में भाग लेगा और यदि पदोन्नति के लिये पात्र पाया जाता है तो उसे प्रोफार्मा वरिष्ठतमा देते हुये पूर्व में पदोन्नत कनिष्ठ कर्मचारी पर वरिष्ठता प्रदान की जायेगी।

चयन पदों के मामले में रोल नम्बर की कोडिंग व डिकोडिंग करने की प्रक्रिया : (RBE 82/10)

जिस विभाग के लिये चयन किया गया है यह उस विभाग के कार्मिक अधिकारी का उत्तरदायित्व है कि लिखित परीक्षा हो जाने के बाद रोल नम्बरों का कोडिंग व डिकोडिंग करें। कार्मिक शाखा के मामले में मूल्यांकन अधिकारी के अलावा अन्य कार्मिक अधिकारी इस कार्य के लिये उत्तरदायी होगा। इस प्रयोजन के लिये कार्मिक अधिकारी का स्तर महाप्रबन्धक द्वारा किया जायेगा।

कोडिंग व डिकोडिंग करने का उत्तरदायित्व एकल अधिकारी, यादि कि इस प्रयोजन के लिये जिस कार्मिक अधिकारी को नामित किया गया है, उसका होगा। यदि परीक्षा एक से अधिक केन्द्रों पर आयोजित की जाती है तब भी यह कार्य एक अधिकारी द्वारा ही किया जायेगा। ठीक उसी प्रकार कार्मिक विभाग के चयन के मामलों में

मूल्यांकन अधिकारी के अलावा अन्य कार्मिक अधिकारी इस प्रयोजन के लिये उत्तरदायी होगा तथा किसी भी मामले में मूल्यांकन अधिकारी रोल नम्बर को कोडिंग डिकोडिंग करने के लिये नामित नहीं किया जायेगा।

पदोन्नति हेतु मनाही : चयन पद के लिये :

i यदि कर्मचारी पदोन्नति के लिये स्पष्ट रूप से या अन्यथा इंकार कर दे (अर्थात् जिस पद के लिये उसका चयन हुआ है उसका कार्यभार ग्रहण न करें और न ही लिखित रूप में पदोन्नति को अस्वीकृत करने की सूचना दे) तो एक साल की अवधि के लिये भविष्य में होने वाली पदोन्नति के लिये रोका जा सकता है, परन्तु उसे अपने कार्यस्थल पर अपने पद पर कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है। पेनल, जिस पर उस कर्मचारी का नाम दर्ज है, कि वैद्यता जारी रहने पर एक वर्ष की अवधि के पश्चात उसे पदोन्नत किया जा सकता है अन्यथा उसे पुनः चयन में सम्मिलित होना होगा।

ii एक वर्ष की अवधि समाप्त होने पर यदि कर्मचारी किसी बाहरी स्टेशन पर पदोन्नति के लिये पुनः असहमति देता हे तो उसका नाम पेनल से हटा दिया जायेगा, इसके लिए किसी प्राधिकारी से अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं है यह स्वतः ही हो जायेगा तथा प्रशासन उसे उसी ग्रेड पर किसी अन्य स्टेशन पर स्थानान्तरित कर सकता है।

iii ऐसी स्थिति में मनाही पश्चात देरी से पदोन्नत हुये कर्मचारी को वरियता पदोननति तिथि से देय होगी तथा पेनल में कनिष्ठ होते हुये भी वे कर्मचारी उससे वरिष्ठ होगें जो उससे पहले पदोन्नत हो गये है।

गैर चयन पद ::

i गैर चयन पद पर पदोन्नति हेतु मनाही करने पर कर्मचारी को एक वर्ष की अवधि के लिये भविष्य में होने वाली पदोन्नति से रोका जा सकता है, लेकिन अपहरिहार्य घरेलू कारणों से एक वर्ष की अवधि तक के लिये उसे अन्यत्र स्टेशन पर स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा। एक वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के बाद पदोन्नति हेतु पुनः असहमति देने पर उसे एक वर्ष की अवधि के लिये पदोन्नति से वंचित रखा जायेगा तथा साथ ही प्रशासन उसे उसी ग्रेड में अन्यत्र स्टेशन पर स्थानान्तरित कर सकता है और कर्मचारी को पदोन्नति के लिये उसकी बारी आने पर पुनः उपयुक्तता परीक्षा में भाग लेना होगा।

ii कर्मचारी की वास्तविक वरीयता का लिहाज किये बिना, जिस अवधि के लिये उसने पदोन्नति के लिये असहमति जताई है, उस दौरान पदोन्नत सभी कर्मचारियों से वह कनिष्ठ होगा।
नोट : कर्मचारी द्वारा गम्भीर परिवारिक परेशानियों अथवा मानवता के आधार पर अल्पकालिक अवधि के लिये पदोन्नति को स्थगित करने के निवेदन पर प्रशासन द्वारा विचार किया जा सकता है। सम्बन्धित कर्मचारी को दी गई अवधि के पश्चात रिक्त पद होने पर पदोन्नत किया जा सकता है और वह अपनी वरीयता पदोन्नत होने की तिथि से प्राप्त करेगा।

उसी स्टेशन पर पदोन्नति : उसी स्टेशन पर पदोन्नति के मामले में, चाहे वह दीर्घकालिक अथवा अल्पकालिक अवधि की रिक्तियाँ पर हो, पदोन्नति हेतु मनाही को कार्य करने से इंकार के रूप में लिया जायेगा तथा इस तरह की अस्वीकृति /मनाही के कारण कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती ह। उसी स्टेशन पर तदर्थ पदोन्नति के रूप में असहमति के पर्याप्त कारणों के आधार पर अनुशासनात्मक एवं अपील नियमों के तहत केवल उन्हीं मामलों में कार्यवाही की जायेगी जिन मामलों में ऐसी असहमति के कारण ट्रेन संचालन प्रभावित होता है। (RBE 311/89, 200/04)

आर्टीजन श्रेणियों के लिये दक्षता परीक्षा :

i कर्मचारी दक्षता परीक्षा पास किये बिना तदर्थ आधार पर 06 सप्ताह तक स्थानापन्न रूप से कार्य कर सकता है।

ii दक्षता परीक्षा में मौखिक परीक्षा व प्रायोगिक परीक्षा दोनों शामिल हो सकती है, लेकिन आर्टीजन श्रेणी में कर्मचारी की पात्रता की जाँच के लिये अलग से मौखिक परीक्षा, जो कि दक्षता परीक्षा का हिस्सा नहीं है, आयोजित नहीं की जायेगी।

iii रेलवे में आर्टीजन श्रेणी से सम्बन्धित कर्मचारियों की कुशल कारीगर–II व III के रूप में पदोन्नति के समय तथा सिगनल व दूरसंचार विभाग में ई.एस.एम. /एम.एस.एम. के रूप में पदोन्नति के लिये दक्षता परीक्षा आयोजित की जाती है। अर्द्धकुशल कारीगर के लिये केवल अभिक्षमता परीक्षा आयोजित की जायेगी। जिसके लिये कर्मचारी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। कुशल कारीगर ग्रेड–I की उपयुक्तता का निर्धारण तीन अधिकारियों की कमेटी द्वारा गोपनीय रिपोर्ट /सेवा रिकार्ड के आधार पर किया जायेगा। इसके लिये कर्मचारी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है।

iv दक्षता परीक्षा साल में दो बार आयोजित की जायेगी।

v दक्षता परीक्षा में मौखिक व प्रायोगिक परीक्षा होगी और साथ ही यहाँ आवश्यक हो वहाँ लिखित परीक्षा भी ली जायेगी।

vi दक्षता परीक्षा में अर्हक अंक निम्नानुसार होगें:–

	कुल अंक	अर्हक अंक	
		सामान्य के लिये	अ.जा./अ.ज.जा. के लिये
प्रायोगिक	60	36	30
मौखिक	40	15	11
कुल	100	51	41

vii दक्षता परीक्षा के लिये रिक्त पदों की संख्या के बराबर कर्मचारियों को बुलाया जायेगा। यदि उपयुक्त संख्या में योग्य कर्मचारी उपलब्ध न हो तो इसे पूरा करने के लिये अन्य कर्मचारियों को बुलाया जायगा, लेकिन यह सम्पूर्ण प्रक्रिया 06 माह की अवधि के भीतर हो जानी चाहिये। यदि यह इस समयावधि बाद होती है तो इसे नई दक्षता परीक्षा के रूप में माना जायेगा। वे कर्मचारी जो पूर्व में असफल हो गये है वे 06 माह की अवधि की समाप्ति के पश्चात आयोजित परीक्षा में पुनः सम्मिलित होने के पात्र होगें। 06 माह की अवधि की गणना परिणाम घोषित होने की तिथि से की जायेगी।

viii यदि कोई कर्मचारी दक्षता परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, लेकिन बाद में ली गई दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता हे तो उसे ऐसे कनिष्ठ कर्मचारियों से पहले पदोननत किया जायेगा जो उससे पहले दक्षता परीक्षा तो पास कर चुके है लेकिन रिक्ति पदों का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जायेगाः– वर्तमान रिक्त पद + अगले चार माह में रिक्त होने वाले पदो के कारण पूर्वानुमानित पद।

दक्षता परीक्षा मूल्यांकन के लिये अनुमोदन :

i वास्तविक दक्षता परीक्षा विनिर्दिष्ट दक्षता परीक्षा के आधार पर सहायक अधिकारी द्वारा आयोजित की जायेगी। वह दक्षता परीक्षा के परिणाम का मूल्यांकन करेगा जो कि ऐसे पर्यवेक्षक द्वारा पर्यवेक्षण किया गया हो जिसका स्तर सहायक फोरमेन या उसके समकक्ष से कम ना हो।

ii मण्डल पर सम्बन्धित विभाग के प्रशासनिक स्तर के अधिकारी द्वारा दक्षता परीक्षा का परिणाम अनुमोदित किया जायेगा। मण्डल पर जहाँ प्रशासनिक स्तर का अधिकारी नहीं होगा वहाँ मण्डल रेल प्रबन्धक /अपर मण्डल रेल प्रबन्धक दक्षता परीक्षा के परिणाम को अनुमोदित करेगें।

iii अनुमोदित दक्षता परीक्षा के परिणाम के विरूद्ध अपील दक्षता परीक्षा पेनल के अध्यक्ष को की जायेगी यानि कि वह प्रशासनिक स्तर का अधिकारी, जिसने दक्षता परीक्षा के परिणाम को अनुमोदित किया है, वह अपील प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा।

रेलवे विद्युतीकरण योजना अथवा निर्माण परियोजना के दौरान पास की जाने वाली दक्षता /उपयुक्तता परीक्षा से ओपन लाईन में उपयुक्तता परीक्षा हेतु छूट :–

ऐसे कर्मचारी जिन्होंने निर्माण /विद्युतीकरण परियोजना में रहने के दौरान गैर चयनित पदो के लिये पहले से ही उपयुक्तता /दक्षता परीक्षा पास कर ली हो, उन्हें ओपन लाईन पर इस तरह की परीक्षा की पुनः आवश्यकता नहीं है तथा उनकी पदोन्नति उनकी वरिष्ठता के आधार पर कर दी जायेगी। यह रियायत केवल तुलनीय परीक्षा (Comparable Trades) के लिये होगी जिसमें किसी व्यक्ति विशेष का लियन ओपन लाईन के लिये रखा गया हो तथा यह जिसमें लियन रखा गया हे उससे एक उच्च ग्रेड के लिये ही लागू होगी।

गलत पदोन्नति :

1 कभी–कभी प्रशासनिक त्रुटि के कारण कर्मचारियों की उच्च वेतनमान में पदोन्नति हेतु अनदेखी हो जाती हैं। ऐसा पदोन्नति हेतु योग्य कर्मचारियों की सम्बन्धित वरिष्ठता में गलत लेखा दर्ज करने या पदोन्नति प्रस्ताव देते समय सक्षम प्राधिकारी के समक्ष पूर्ण तथ्य प्रस्तुत नहीं करने या किसी अन्य कारण से हो सकता है। मोटे तौर पर प्रशासनिक त्रुटि निम्न दो प्रकार की होती हैः–

   i जहाँ कर्मचारी को प्रशासनिक त्रुटि से पदोननत नहीं किया गया हो, तथा

   ii जहाँ कर्मचारी पदोननत तो हुआ है, किन्तु प्रशासनिक त्रुटि से उस तिथि से नहीं जिससे उसे पदोन्नत किया जाना था। इस प्रकार के प्रत्येक मामले को इसके गुण–अवगुणों के आधार पर निपटाना चाहिये। कर्मचारी जिसने प्रशासनिक त्रुटि के कारण अपनी पदोन्नति खो दी है, उसे पदोन्नति देते समय उसकी पदोन्नति की तिथि को पृथक रखते हुये, पहले से ही पदोन्नति उसके कनिष्ठों के समान ही सही वरिष्ठता दी जायेगी। ऐसे पदोन्नति पर उच्च वेतनमान में वेतन का निर्धारण प्रोफार्मा आधार पर दिया जाना चाहिये। बढ़ा हुआ वेतन पदोन्नति की तिथि से ही देय होगा लेकिन इस कारण से कोई बकाया (एरियर) देय नहीं होगा, क्योंकि कर्मचारी ने उच्च पद की ड्यूटी व जिम्मेदारियाँ वास्तव में इस अवधि में वहन नहीं की हैं।

2 कोई परिणामी पदोन्नति /नियुक्ति (अन्य रेल कर्मचारी की) गलत पदोननति पर नियुक्ति के आधार पर की गई है तो इसे भी एक त्रुटि माना जायेगा तथा इसे पूर्व पैराग्राफ के आधार पर अधिशासित किया जायेगा।

3 जहाँ नियुक्ति प्राधिकारी रेलवे बोर्ड /राष्ट्रपति हो ऐसे मामले को छोड़कर, जहाँ किसी रेल कर्मचारी की पदोन्नति /नियुक्ति में त्रुटि हुई है या नहीं इस प्रश्न का निर्धारण उस प्राधिकारी द्वारा, जो नियुक्ति प्राधिकारी से अगला उच्च प्राधिकारी होगा, के द्वारा पदोन्नति, नियुक्ति के लिये अधिशासित सिद्धान्तों के

अनुरूप किया जायेगा। जब नियुक्ति प्राधिकारी रेलवे बोर्ड /राष्ट्रपति हो तो निर्णय माननीय राष्ट्रपति पर छोड़ा जायेगा और उनका निर्णय अन्तिम होगा।

संशोधित सुनिश्चित भविष्य उन्नयन योजना (MACPS) : (RBE 101/09 & 143/10)

यह योजना पूर्ववृर्ती ए.सी.पी. योजना का अधिक्रमण करती है तथा संगठित समूह ''ए'' सेवाओं को छोड़कर सभी नियमित रूप से नियुक्त ए, बी और सी रेल कर्मचारियों पर लागू होगी। समूह ''घ'' कर्मचारियों को निर्धारित प्रशिक्षण पूर्ण करने केबाद समूह ''ग'' कर्मचारी के रूप में माना जायेगा। रेलवे में नियुक्त नैमेतिक कर्मचारी, जिसमें अस्थायी ओहदा प्राप्त कर्मचारी भी शामिल हे तथा ऐसे कर्मचारी जो तदर्थ अथवा संविदा आधार पर नियुक्त हे, वे इस योजना के अधीन लाभ के हकदार नहीं होगें।

एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन की स्वीकृत देने के मामले पर विचार करने के लिये प्रत्येक विभाग में एक स्क्रीनिंग समिति का गठन किया जायेगा। स्क्रीनिंग समिति में एक अध्यक्ष तथा दो सदस्य शामिल होगें। स्क्रीनिंग समिति समय अवधि का पालन करेगी तथा एक वित्तीय वर्ष में दो बार बैठक करेगी जो कि सामान्यतः जनवरी तथा जुलाई के प्रथम सप्ताह में होगी ताकि उस छःमाही में परिपक्व होने वाले मामलों की पूर्व प्रक्रिया शुरू कर सकें।

यह योजना 01.09.2008 से प्रभावी होगी दूसरे शब्दों में पहले की एसीपी योजना (अक्टूबर 99) में दी गई व्यवस्था के आधार पर वित्तीय उन्नयन 31.08.2008 तक ही देय होगें।

एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत किसी कनिष्ठ कर्मचारी को वेतन नियतीकरण के आधार पर वरिष्ठ कर्मचारी से अधिक वेतन मिल जाने पर वरिष्ठ के पे और पे बैण्ड की वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।

एम. ए. सी. पी. योजना की मुख्य विशेषतायें :

1 एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत तीन वित्तीय उन्नयन देय होगें, जिसकी गणना सीधे प्रवेश पे ग्रेड से करते हुये क्रमश 10, 20 व 30 वर्ष की सेवा पर देय होगें। योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन तब ही देय होगें जब कर्मचारी ने उसी ग्रेड में लगातार 10 वर्ष बिताये हों।

2 एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत संशोधित पे बैण्ड और ग्रेड पे के पदानुक्रम में तुरन्त अगले उच्चतर ग्रेड पे में रखने पर विचार किया जा सकता है। इस प्रकार एम.ए.सी.पी. योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन, कई मामलों में जहाँ दो उत्तरोत्तर ग्रेडों के मध्य पदोन्नति ग्रेड नहीं हो, वहाँ नियमित पदोन्नति के समय उपलब्ध ग्रेड पे से अलग हो सकती है। ऐसे मामलों में सम्बन्धित संवर्ग में नियमित पदोन्नति पर उच्च ग्रेड पे देय होगी। (Also see Bd.s letter dt. 24.03.2015 NWR PS 12/15 court judgement)

3 MACP योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन पी.बी.4 में अधिकतम ग्रेड पे 12000 रू तक देय है। (RBE 39/11)

4 इस योजना के अधीन वेतन नियतिकरण का लाभ वित्तीय उन्नयन के समय भी उस तरह देय होगा जेसा कि नियमित पदोन्नति के समय देय होता है। लेकिन नियमित पदोन्नति तथा एम.ए.सी.पी. योजना के द्वारा स्वीकृत ग्रेड पे समान हो तो नियमित पदोन्नति के समय पुनः वेतन नियतिकरण नहीं किया जायेगा। किन्तु यदि नियमित पदोन्नति के समय कोई पद जिसका ग्रेड पे एम.ए.सी.पी. योजना में उपलब्ध से अधिक हो तो पुनः वेतन नियतिकरण नहीं होगा, केवल ग्रेड पे का अन्तर ही देय होगा।

5 ए.पी.पी. योजना के अन्तर्गत पूर्व में उन ग्रेडों में अर्जित /उन्नयन पदोन्नति को, जो छठे वेतन आयोग की सिफारिशों द्वारा मिला (merge) दिये गये है तथा अब उस पद के लिये वेतनमान समान हो गया है, उन्हें एम.ए.सी.पी. के अधीन उन्नयन स्वीकृत करते समय अनदेखा कर दिया जायेगा।

6 एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत पदोन्नति /वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति होने पर वेतन नियतीकरण के सम्बन्ध में रेल सेवक के पास, भारतीय रेल स्थापना नियमावली भाग–ाा (छठा संस्करण–1987 द्वितीय पुनर्मुद्रण 2005) [एफ.आर. 22 (I) (ए) (i)) नियम 1313 (i) (ए) (I)] के अधीन विकल्प हे, कि उच्च पद /ग्रेड में अपना वेतन नियतीकरण या तो अपनी पदोन्नति /उन्नयन की तिथि से या उसकी अगली वेतन वृद्धि तिथि 01 जुलाई से कराने का विकल्प दे सकता है। वेतन और वेतन वृद्धि की तिथि आर.बी.ई. संख्या 132 /2008 के स्पष्टीकरण संख्या 02 के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

7 भर्ती नियमों के अनुसार पदोन्नति पदानुक्रम में समान ग्रेड पे वाले पदों पर अर्जित पदोन्नति को एम.ए.सी. पी. योजना के उद्देश्य से गणना हेतु लिया जायेगा।

8 एम.ए.सी.पी. के लिये नियमित सेवा, किसी पद पर /सीधी भर्ती पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति या समायोजना /पुनर्नियोजन आधार पर सीधे प्रवेश की तिथि से शुरू होगी। नियमित नियुक्ति से पूर्व नियुक्ति पूर्व प्रशिक्षण /तदर्थ /संविधा आधार पर की गई सेवा को गणना में नहीं लिया जायेगा। किन्तु अन्य सरकारी /विभागों से नये विभाग में (बिना व्यवधानिक) नियुक्ति से पूर्व समान ग्रेड पे पर लगातार की गई नियमित सेवा को केवल एम.ए.सी.पी. योजना के लिये (नियमित पदोन्नति हेतु नहीं) अर्हक सेवा के रूप में माना जायेगा।

9 किसी रेल कर्मचारी द्वारा राज्य सरकार /सांविधिक निकाय /स्वायत निकाय /सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रेलवे में नियुक्ति से पूर्व की गई सेवा को नियमित सेवा के रूप में नहीं गिना जायेगा।

10 सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत वे सभी अवधियाँ जो प्रतिनियुक्ति /विदेश सेवा /अध्ययन छुट्टी तथा अन्य प्रकार की छुट्टियाँ भी नियमित सेवा में शामिल होगी। बिना मेडिकल आधार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत असाधार छुट्टी की गणना एम.ए.सी.पी.एस. के उद्देश्य से की जायेगी।

11 एम.ए.सी.पी. योजना वर्कचार्ज कर्मचारियों पर भी लागू होगी, यदि उनकी सेवा शर्तें नियमित संगठन के कर्मचारियों के समान हो।

12 यदि एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन में विलम्ब हुआ है तथा एक ग्रेड में 10 वर्ष सेवा करने के बाद भी कर्मचारी के अयोग्य होने अथवा विभागीय प्रक्रिया के कारण यह नहीं मिला है तो इसका प्रभाव आगामी वित्तीय उन्नयन पर भी पडेगा।

13 इस योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति होने पर पदनाम, वर्गीकरण आदि में कोई बदलाव नहीं होगा। किन्तु वित्तीय और अन्य निश्चित परिलाभ जो किसी कर्मचारी द्वारा उठाये जा रहे वेतन से जुड़े हो, जैसे मकान निर्माण अग्रिम, सरकारी आवास का आबंटन आदि हेतु यह मान्य होगें।

14 पी.बी.–1 में वित्तीय उन्नयन गैर प्रयोजन मूलक आधार (Non functional Basis) पर कर्मचारी की दक्षता के आधार पर होगा। इसके बाद एम.ए.सी.पी. पी.बी.–3 ग्रेड पे 76000 (RBE 20/2017) तक के उन्नयन के लिये ''बहुत अच्छा'' (Very Good) बेंच मार्क लागू होगा। ग्रेड पे 7600 रू या अधिक में वित्तीय उन्नयन के लिये ''बहुत अच्छा'' (Very Good) बेंच मार्क लागू होगा। (RBE 155/2016)

इस सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 03.02.2010 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि वित्तीय उन्नयन के लिये उसी अवधि की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट विचार में ली जायेगी जैसा कि विभागीय पदोन्नति समिति के लिये आवश्यक होती है। (RBE 25/10)

इसी क्रम में रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 28.12.2010 द्वारा आगे यह स्पष्ट किया गया है कि अगर वित्तीय उन्नयन भी पदोन्नति हेतु निर्धारित वेतनमान /ग्रेड पे में किया जा रहा है तथा पदोन्नति हेतु निर्धारित बेंच मार्क वित्तीय उन्नयन हेतु निर्धारित बेंच मार्क से निम्न हैं, तो वित्तीय उन्नयन हेतु भी वही (पदोन्नति वाला) बेंच मार्क लागू होगा। (RBE 188/10)

इसी सम्बन्धी में रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 31.01.2013 द्वारा आगे यह स्पष्ट किया गया हैं कि जहाँ कहीं भी पदोन्नतियाँ नॉन–सलेक्शन के आधार पर (अर्थात् वरिष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर) दी जाती हैं तो बोर्ड के दिनांक 10.06.2009 (RBE 101/09) में उल्लेखित निर्धारित बेंच मार्क एम.ए.सी.पी.एस. के अन्तर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन प्रदान करने के प्रयोजनार्थ लागू नहीं होगा। (RBE 08/13)

15 अनुशासनिक /शास्ती की कार्यवाही के मामले में एम.ए.सी.पी. योजना के अधीन परिलाभों की स्वीकृति सामान्य पदोन्नति के लिये लागू नियमों के अनुसार ही होगी। इस प्रकार के मामले रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील नियम 1968) तथा इसके अधीन जारी अनुदेशों द्वारा अधिशासित होगें।

16 एम.ए.सी.पी. योजना में कोई आरक्षण आदेश /रोस्टर लागू नहीं होगा तथा इसके परिलाभ योग्य अ.जा. /अ.ज.जा. कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होने।

17 एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन कर्मचारी को विशुद्ध व्यक्तिगत होगा तथा इससे उसकी वरिष्ठता का कोई सम्बन्ध नहीं होगा। तथा किसी वरिष्ठ कर्मचारी को अतिरिक्त वित्तीय उन्नयन इस आधार पर देय नहीं होगा कि उस ग्रेड में कनिष्ठ कर्मचारी को इस योजना के अन्तर्गत उच्च वेतन /ग्रेड दिया गया है।

18 एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत दिये गये पे बैण्ड और ग्रेड पे भत्तों का आवधिक लाभ सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के समापन भुगतान गणना के लिये लिया जायेगा।

19 किसी मामले में जब कर्मचारी अपने संगठन में अधिशेष घोषित हो जाता है और उसे नये संगठन में समान या नीचे के वेतनमान में तैनात किया जाता हे तो एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन देने हेतु उसके द्वारा पहले के संगठन में की गई नियमित सेवा को उसके द्वारा नये संगठन में की गई नियमित सेवा के साथ में गिना जायेगा।

20 यदि कोई कर्मचारी पदोन्नति /ए.सी.पी. लेने के बाद निम्न पद /वेतनमान पर इकतरफा (Unilaterat) स्थानान्तरण चाहता है तो एम.ए.सी.पी. योजना के अधीन 20 /30 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण होने के बाद ही द्वितीय /तृतीय वित्तीय उन्नयन, जैसा भी मामला हो, का हकदार होगा जिसकी गणना नये संगठन में उसकी प्रारम्भिक नियुक्ति से होगी।

इस सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 28.12.2010 द्वारा यह स्पष्ट किया गया हैं कि वित्तीय उन्नयन हेतु नये विभाग /संगठन में की गई नियमित सेवा के साथ पूर्व विभाग /संगठन में की गई सेवा भी वित्तीय उन्नयन हेतु गणना में ली जायेगी। (RBE 188/10)

इसी क्रम में रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 31.01.2013 द्वारा स्पष्ट किया गया हैं कि जहाँ कहीं कोई अधिकारी किसी निम्नतर पद पर अपनी इच्छानुसार स्थानान्तरण नये संगठन /कार्यालय के लिये कार्यभार मुक्त होने से पहले पदोननत किये गये पद /ग्रेड से निम्नतर पद /ग्रेड में रिवर्ट हो जाता हैं तो नये संगठन /कार्यालय में एम.ए.सी.एस. के प्रयोजन के लिये पिछले संगठन /कार्यालय में ऐसी पिछली पदोन्नति को नहीं गिना जायेगा। उन मामलों के सम्बन्ध में, जहाँ किसी अन्य संगठन /ईकाई में एकपक्षीय स्थानान्तरण के समय वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया हो और इस प्रकार कर्मचारी को पदोननति का वित्तीय लाभ प्राप्त होना जारी हो तो एम.ए.सी.पी.एस. के प्रयोजन के लिये पिछले संगठन में हुई पदोन्नति को गिना जायेगा। (RBE 08/13, 147/15)

21 यदि कोई नियमित पदोन्नति दी गई हो, किन्तु कर्मचारी ने वित्तीय उन्नयन के योग्य होने से पूर्व उसे अस्वीकार कर दिया हो तो उसे वित्तीय उन्नयन नहीं दिया जायेगा, क्योंकि कर्मचारी अवसरों की कमी के कारण ठहराव (Stagnate) नहीं हुआ हैं।

लेकिन यदि ठहराव (Stagnation) के कारण वित्तीय उन्नयन दिये जाने तत्पश्चात कर्मचारी पदोननति को अस्वीकार कर देता हे तो वह वित्तीय उन्नयन वापिस नहीं लिया जायेगा। फिर भी वह अगले वित्तीय उन्नयन का तब तक हकदार नहीं होगा, जब तक कि वह पदोन्नति लेने के लिये दुबारा सहमत नहीं हो तथा दूसरा और अगले वित्तीय उन्नयन उस अवधि तक आगे बढ़ा दिये जायेगें जिस अवधि तक उसने पदोन्नति अस्वीकार की थी।

उदाहरणार्थ : यदि वित्तीय उन्नयन 01.09.2008 को कार्यालय के पत्र 12.11.2009 के द्वारा दिया गया तथा उस कर्मचारी को नियमित पदोन्नति 06.11.2009 को दी गई तो कर्मचारी को 01.09.2008 से दिया गया वित्तीय उन्नयन पदोन्नति पूर्व दिया हुआ माना जायेगा। यदि कर्मचारी 06.11.2009 के पत्र द्वारा दी गई पदोन्नति को अस्वीकार करता हे तो उसके पदोननति की तिथि के बाद के वित्तीय उन्नयन प्रभावी होगें।
(PS No.: 66A /09 NWR)

इसी क्रम में रेलवे बोर्ड द्वारा आगे स्पष्ट किया गया हैं कि ACP/MACP योजना के सम्बन्ध में पदोन्नति हेतु मनाही सम्बन्धी निर्देश सिर्फ तदर्थ पदोन्नति के मामले में लागू होगें। अतः ऐसे कर्मचारी जिन्होंने तदर्थ पदोन्नति मनाही (Refusal) दी है वे एम.ए.सी.पी.एस. के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन के पात्र होगें।
[(RB L. PC-V/2009/ACP/2/ dt. 13.02.13 (P.No.: 205 of RBO 2012)]

22 पूर्णतः तदर्थ आधार पर उच्च पद धारण करने वाले कर्मचारियों के मामलों पर भी जाँच समिति द्वारा अन्य योग्य कर्मचारियों के साथ ही विचार किया जायेगा। तथा कर्मचारी को निचले पद पर पदावनति के समय इसका लाभ मिलेगा तथा तदर्थ आधार पर आहरित वेतन की तुलना में यह अगर लाभप्रद हो तो उन्हें वित्तीय उन्नयन का वेतन लाभ वहाँ दिया जा सकता है।

23 ऐसे कर्मचारी जो प्रतिनियुक्ति पर हैं उन्हें उनके मूल विभाग में एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन का लाभ देने के लिये वापस बुलाने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें यह विकल्प होगा कि या तो वे जिस पद पर वर्तमान में काम कर रहे उस पर देय पे बैण्ड और ग्रेड पे आहरित कर सकते हैं।

24 एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत लाभ देने के लिये अस्थाई ओहदा प्राप्त नेमेतिक श्रमिक के रूप में की गई सेवा की 50 सेवा को नियमित रोजगार में समाहित होने पर 10, 20 व 30 वर्ष की न्यूनतम सेवा के लेखे में लिया जा सकता है। (RBE 215/09)

25 बिना व्यवधान (without break) के नियमित हुए अस्थायी ओहदा प्राप्त सब्सीट्यूट की पूर्ण सेवा को एम.ए. सी.पी. योजना के अन्तर्गत लाभ देने हेतु 10, 20 और 30 वर्ष की न्यूनतम सेवा के लेख में लिया जायेगा। (RBE 36/10)

26 एम.ए.सी.पी. योजना शिक्षण सम्बन्धी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी। (रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या E (P&A) 2005 /PS /P.E.-5 dt. 01.02.2010) (PS No.: 10A/10 NWR)

27 वित्तीय उन्नयन के अन्तर्गत दिये गये उच्च वेतन /ग्रेड पे का लाभ पास /पी.टी.ओ. की योज्यता (Entitlement) के लिये गणना में लिया जायेगा। (RBE 06/2011)

28 MACP के अन्तर्गत प्राप्त वेतन एरियर को भविष्य निधि खाते में जमा नहीं किया जा सकता। (RBE 17/2011)

29 फार्मासिस्ट को ग्रेड पे 2800 पी.बी.–ा (Entry Grade) में दो वर्ष की नियमित सेवा पश्चात पी.बी.–2 में ग्रेड पे 4200 में लगाये जाने को एम.ए.सी.पी. के उद्देश्य से एक उन्नयन (Upgradation) मान जायेगा।
[(RB L PC-V/2009/ACP/2 dt. 20.04.10 (NWR PS 30/11 & 55/11)]

(उपरोक्त प्रावधान केन्द्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण /चण्डीगढ़ द्वारा OA No.: 1146-PB 2012 में मान्य (Unheld) किया गया। RB L.No.: PCV/2014/CC/Mise dt. 28.05.2015 (NWR PS 38/15)

30 प्रारम्भ में रू 5500–9000 के ग्रेड में भर्ती किये गये बोर्ड के पत्र 28.09.1998 (RBE 223/98) के अनुसार 20% डी.आर. कोटे पर रू 6500–10500 में पदोन्नत किये गये इंजीनियरी ग्रेजुएटों को एम.ए.सी.पी. योजना के उद्देश्य से रू 6500–10500 के वेतनमान में उनकी पदोन्नति की तारीख से रू 6500–10500 के वेतनमान में नये भर्ती किये गये ग्रेजुएट इंजीनियरों के बराबर माना जाये। (RBE 93/11)

31 पदोन्नति पर मनाही (Refusal) सम्बन्धी व्यवस्था चूँकि सामान्य पदोन्नति से सम्बन्धित है इसलिये कर्मचारी द्वारा तदर्थ पदोन्नति हेतु मनाही के बावजूद अन्य शर्तें पूर्ण करने पर एम.ए.सी.पी.एस. के अन्तर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन का पात्र होगा। (रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या दिनांक 13.02.2012)

32 ऐसे मामलों में जहाँ कर्मचारी को मेडिकल आधार पर विकोटिकृत कर किसी निचले वेतनमान /ग्रेड पे में अन्य पद पर नियुक्त किया गया हो, तो ऐसे मामले में एम.ए.सी.पी.एस. के प्रयोजन के लिये पहले की गई सेवा की गणना की जायेगी। ऐसे मामले में भी जहाँ कर्मचारी ने मेडिकल आधार पर विकोटिकृत होने से पहले एक पदोन्नति /वित्तीय अपग्रेडेशन प्राप्त किया हो और उसे निचले पद पर नियुक्त किया गया हो तो ऐसे मामलों में भी एम.ए.सी.पी.एस. के अन्तर्गत तीन वित्तीय अपग्रेडेशन का निर्णय के लिये पहले की गई सेवा, जिसमें वह अवधि भी शामिल हैं जब वह पदोन्नति पर उच्चतर पद पर था, की गणना करने में कोई आपत्ति नहीं हैं क्योकि वह स्थानान्तरण उसकी अपनी मर्जी से नहीं किया गया होता हैं। (RBE 20/12)

33 एल.डी.सी.ई. /जी.डी.सी.ई. योजना के अन्तर्गत चुने गये रेल कर्मचारियों के लिये एम.ए.सी.पी. योजना लागू करने के सम्बन्ध में स्पष्ट किया गया है किः– (RBE 100/12)

i यदि संगत भर्ती नियमों में सीधी भर्ती द्वारा ग्रेड में रिक्त पदों को भरने की व्यवस्था की जाती हो तो एलडीसीई/जीडीसीई के माध्यम से उस ग्रेड में कर्मचारी के समावेशन को MACPS के अन्तर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन देने के उद्देश्य से सीधी भर्ती के रूप में माना जाये। इस प्रकार के मामलों में निम्न वेतनमान/ग्रेड पे में की गई विगत सेवा को MACPS योजना के उद्देश्य से नहीं गिना जायेगा।

ii यदि संगत भर्ती नियमों में एलडीसीई /जीडीसीई के आधार पर भरा जाने वाला पदोन्नति सम्बन्धी कोटा निर्धारित हो तो इस प्रकार की नियुक्ति को एम.ए.सी.पी. के अन्तर्गत लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से पदोन्नति के रूप में माना जायेगा और इस प्रकार के मामलों में पिछली नियमित सेवा को एम.ए.सी.पी.एस. योजना के अन्तर्गत आगे लाभों, यदि कोई हो, के लिये भी गिना जायेगा।

34 ऐसी स्थिति में जहाँ पर कि कर्मचारी ऐसे पद पर कार्यरत हैं जहाँ उसका पदोन्नति पद भी उसी ग्रेड पे में हैं तो ACP/MACP योजना के अन्तर्गत उसे वित्तीय उन्नयन भी उसी ग्रेड पे में मिलेगा ना कि उच्च ग्रेड पे में। [RBE 142/12 & RB L.No.: PC-V/2009/ACP/20/CLW dt. 05.03.2013 (NWR PS 14/13)]

35 ए.सी.पी. योजना 31.08.2008 तक प्रभावी थी तथा 01.09.2008 से एम.ए.सी.पी. योजना प्रभावी हुई अतः वरिष्ठ कर्मचारी जिन्हें 01.01.2006 से पूर्व (अर्थात् 01.01.2006 से 31.08.2008 तक) ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत लाभ मिला तथा जो ऐसे कनिष्ठ कर्मचारियों से कम वेतन प्राप्त कर रहे हैं जिन्हें 01.01.2006 के पश्चात ए.सी.पी. योजना का लाभ मिला, वे वेतन स्टेपिंग अप के पात्र होगें। (RBE 01/13)

36 रेलवे गुड्स गार्ड कोटि में (स्वीकृत संवर्ग का 27%) Non-functional basis पर वरिष्ठ गुड्स गार्ड पदनाम के साथ जो 4200 ग्रेड पे दिया गया हैं वह एम.ए.सी.पी. सयोजना के उद्देश्य से उन्नयन (upgradation) के रूप में माना जायेगा। RB Lt. PC-V/2011/PNM/AIRF/2 dt.05.06.12 (P.No.238 of RBO 2012)

37 सीधी भर्ती हुये वरिष्ठ अनुभाग अभियन्ता ग्रेड पे 4600 तथा स्टॉफ नर्स ग्रेड पे 4600 एम.ए.सी.पी.एस. के अन्तर्गत क्रमश ग्रेड पे 4800 (पी.बी.–2), ग्रेड पे 5400 (पी.बी.–2) व ग्रेड पे 5400 (पी.बी.–3) में प्रथम, द्वितीय व तृतीय वित्तीय उन्नयन के पात्र होगें। एम.ए.सी.पी.एस. के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन हेतु ग्रेड पे 5400 (पी.बी.–2) व ग्रेड पे 5400 (पी.बी.–3) को आर.बी.ई. 101/09 के पैरा 8.1 के अनुसार अलग–अलग ग्रेड पे माना गया हैं।) RB Lt. PC-V/2009/ACP/20/CLW dt.05.03.13 (NWR PS 14/13)]

38 ए.सी.पी. /एम.ए.सी.पी. के अन्तर्गत किसी कर्मचारी को वित्तीय उन्नयन ऐसे उच्च ग्रेड पे में देय नहीं होगा जोकि उसके सामान्य पदोन्नति चेनल में देय नहीं हैं। ऐसी स्थिति में एम.ए.सी.पी. के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन समान ग्रेड पे में ही देय होगा। (RBE 142/12)
(उपरोक्त प्रावधान माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा upheld किये गये RB L. PCV/2014/CC/Mise dt. 21.04.15 (NWR PS 25/15)

39 निम्न पद पर कार्यरत कर्मचारी को मात्र इस कारण से उस पद पर मूल रूप से नियुक्त (Initially Appointed) नहीं माना जायेगा क्योंकि निचले दो पद पिछले दो लगातार संवर्ग पुनःसंरचना के अन्तर्गत समाप्त हो गये है। RB L. PCV/2011/M/4/NFIR dt. 10.06.13 (P.No. 229 of RBO 2013)